षोडश माला, खंड 11, अंक 9 **सोमवार, 3 अगस्त, 2015**

12 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

इंदु बक्शी
संयुक्त निदेशक

सुनील कुमार
संपादक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)
अंक 9, सोमवार, 3 अगस्त, 2015 / 12 श्रावण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
चक्रवात कोमेन के कारण जानमाल का नुकसान	11
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 183 से 188	15-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 189 से 202	45
अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300	45

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 47-54

याचिका समिति

चौथे से छठा प्रतिवेदन 55

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. मनोज सिन्हा 56

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव – समय बढ़ाया जाना 57

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कर्नाटक में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं

श्री बी.एस. येदियुरप्पा 58,67-75

श्री राधा मोहन सिंह 59-68, 76-78

नियम 377 के अधीन मामले 79-102

(एक) बिहार के मधुबनी जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी 79

(दो) देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक दोषरहित प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी 79-80

(तीन) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया 81

(चार) उत्तर प्रदेश में कालपी के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 82

(पांच) विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के प्रार्थियों के लिए पी.एच.डी./यू.जी.सी. नेट को आवश्यक अर्हता बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 83

(छह) वन्य जीवों की आवाजाही को रोकने के लिए भरतपुर जिले की डीग तहसील में स्थित आरक्षित वन क्षेत्र के चारों ओर एक दीवार बनाए जाने की आवश्यकता

श्री बहादुर सिंह कोली 84

(सात) राजस्थान में धौलपुर-सारामथुरा-करौली-गंगापुर रेल लाइन परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया 85

(आठ) देश में आदिवासी महिलाओं को शैक्षणिक तथा रोजगार संबंधी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे 86

(नौ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता के प्रार्थी सभी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 87

(दस) लम्बित पड़े विकास कार्यो को पूरा करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से राज्यों को पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी, ए.वी.एस.एम. 88

(ग्यारह) बिहार के सिवान में एम्स की तरह का संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव 89

(बारह) झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के गांवों में अमानत और सोन नदियों के द्वारा भूमि कटाव रोकने के लिए शीघ्र उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम 90

(तेरह) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजकुमार सैनी 91

(चौदह) तमिलनाडु में अतिकावेडु-अविनाशी फ्लड कैनाल स्कीम के लिए अतिरिक्त निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. नागराजन 92

(पंद्रह) तमिलनाडु के मदुरै और बीदीनायक्कनूर के बीच आमान-परिवर्तन के कार्य को शुरू करने तथा डिंडीगुल और सबरीमाला के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री आर. पार्थिपन 93

(सोलह) भारतीय जूट निगम में श्रम शक्ति की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय 94-95

(सत्रह) ओडिशा के बुर्ला में वीर सुरेन्द्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भारतीय अभियांत्रिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान 96

(अठारह) मुम्बई विमानपत्तन के कार्गो डिवीजन में कार्य कर रही कुरियर सेवाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री गजानन कीर्तिकर 98

(उन्नीस) एकीकृत राष्ट्रीय कौशल तथा उद्यमशीलता नीति के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु 99

(बीस) तेलंगाना के खम्माम के जनजातीय लोगों को उच्च तथा तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी 100

(इक्कीस) एक लाख रुपए से अधिक के आभूषणों को खरीदने के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) को अनिवार्य किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री धनंजय महाडीक 101-102

नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन 103-116

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 3 अगस्त, 2015 / 12 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

चक्रवात कोमेन के कारण जानमाल का नुकसान

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, देश के पूर्वी भागों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल मणिपुर और ओडिशा में साइक्लोन 'कोमेन' के कारण आई लगातार वर्षा से भूस्खलन और बाढ़ से संपूर्ण देश में करीब 75 व्यक्तियों के मारे जाने और लाखों लोगों के विस्थापित होने की सूचना है। बाढ़ के कारण गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी जन-धन और पशुधन की भारी क्षति हुई है।

सभा इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुःख व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है और घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे ।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दम दम): माननीय अध्यक्ष महोदया, केंद्र को बाढ़ प्रभावित बंगाल को तत्काल राहत भेजनी चाहिए। हमारा राज्य बुरी तरह प्रभावित है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री एम. वीरप्पा मोइली, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री राजीव सातव, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, और श्री पी. करुणाकरन से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। ये सभी सूचनाएं अलग-अलग विषयों पर हैं। हालांकि, ये मामले महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आज के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न किया जाए। अन्य माध्यमों से भी मुद्दे उठाये जा सकते हैं। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, आप कह रही हैं कि विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही साथ, आप प्रतिदिन सूचनाओं को निरस्त कर रही हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कृपया मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको 12 बजे के बाद हमेशा अनुमति दी है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैं स्थगन प्रस्ताव रिजैक्ट कर रही हूं। मैंने यह नहीं कहा है कि मैं आपको बोलने के लिए मौका नहीं दूंगी। मैं आपको अनुमति दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं 12 बजे सबसे पहले आपको बोलने का अवसर दूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हमारी मांग है कि पहले उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए और फिर चर्चा की जानी चाहिए। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: जो भी हो, मैं आपको नहीं कह रही हूं।

... (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल चलता रहे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया प्रश्न काल को जारी रखने की अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष: मुझे पता है।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

इस समय, श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नकाल के बाद और पत्रों को रखने के पश्चात, मैं आपको अनुमति दूंगी। मैं मना नहीं कर रही हूँ। अब, हम प्रश्नकाल लेते हैं। प्रश्न सं. 183।

डॉ. जे. जयवर्धन - उपस्थित नहीं

श्रीमती बुत्ता रेणुका - उपस्थित नहीं

… (*व्यवधान*)

माननीय मंत्री जी।

… (*व्यवधान*)

03.08.2015

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह।

(प्रश्न 183)

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था...(व्यवधान) इतना विस्तार से उत्तर देने का मतलब यही है कि सरकार ने अपने काम-काज में बहुत पारदर्शिता रखी है। नई-नई योजनाएं चलाकर देशभर में पर्यटन के जितने स्थान हैं, उन सबको विकसित करने के लिए देसी और विदेशी पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई है, मैं उसका स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हू।...(व्यवधान) स्वदेश दर्शन थीम के तहत हाल में जो 12 परिपथों की घोषणा की गई है, उसमें रामायण परिसर भी है। ...(व्यवधान) उनके विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं? ...(व्यवधान) चित्रकूट में जहां भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल के 11 वर्ष बिताए थे, वहां रामायणम परिसर जिसका हमने 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव विकास के लिए दिया है, उस पर क्या सरकार विचार कर रही है?...(व्यवधान) इसके अलावा दूसरे परिपथों के लिए जो राशि दी गई है, लेकिन उत्तर में रामायण परिपथ के लिए राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके लिए कितनी राशि का आवंटन करने जा रहे हैं और मेरे द्वारा दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति कब तक देंगे?...(व्यवधान)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) भारत सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी का सपना है कि पर्यटन की दृष्टि से भारत उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां उसे पहुंचना चाहिए। ...(व्यवधान) स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम बेस्ड सर्किट जो शुरू किए गए हैं, उनमें एक रामायण सर्किट की भी घोषणा की गई है जिसमें भगवान राम से जुड़े हुए स्मरण स्थल, पूज्य स्थलों को जोड़ा गया है। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि रामायण सर्किट के विषय में और भी कोई सुझाव उनके पास या किसी भी माननीय सदस्य के पास हैं तो हम उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जिनके पास प्लेकार्ड हैं, राजीव सातव *जी*, रवनीत सिंह *जी* , गौरव गोगोई *जी*, सुष्मिता देव *जी*, [हिन्दी] आप सब अपने प्लेकार्ड रख दें प्लीज़।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जिनके पास प्लेकार्ड हैं, उन्हें अनुमति नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री वी. एलुमलाई: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु में जिंजी दुर्ग के संरक्षण के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है? ...(व्यवधान) मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या जिंजी किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारक सूची में शामिल है। ...(व्यवधान) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? *… (व्यवधान)*

डॉ. महेश शर्मा: महोदया, माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: रवनीत सिंह जी, यह फेयर नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह कोई अच्छी बात नहीं है कि आप मिनिस्टर को डिस्टर्ब करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: उनकी आवाज जाएगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. महेश शर्मा: महोदया, माननीय सदस्य के इस विशिष्ट प्रश्न के लिए मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या वर्तमान में, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल करने पर विचार चल रहा है या नहीं। ... *(व्यवधान)*

मैं उन्हें अपने अधिकारियों के साथ पूर्ण विचार-विमर्श के बाद बताऊंगा। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बड़ा डिटेल जवाब दिया है। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी की इस देश को टूरिज़्म के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में लाने की जो इच्छा है, उसके लिए मंत्री जी बड़ा काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।...*(व्यवधान)* मैं स्पैसीफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी हमारे यहां बाबा बैद्यनाथ धाम का मेला चल रहा है। ...*(व्यवधान)* दो महीने में कम से कम दो करोड़ लोग वहां आएंगे। जो 12 स्पिरिचुअल सर्किट हैं, उनमें कौन-कौन से शहर शामिल हैं?...(व्यवधान) देवघर से

सुल्तानगंज जो नया सर्किट बनाने की बात हुई थी, उसकी क्या प्रगति है?...*(व्यवधान)* रांची के बाद देवघर में आईएचएम फुड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को सरकार को छह साल में अंदर पूरा करना था लेकिन वह अभी तक पेंडिंग है। ...*(व्यवधान)* इन तीन चीजों के बारे में मंत्री महोदय के बताने पर 2 करोड़ कावंड़ियों को अगले दो महीने में क्या सुविधा मिलेगी, इसका पता चल जाएगा।

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सांसद जी, प्रथम चरण में जो 12 शहरों को स्प्रीच्युअल सिटी घोषित किया गया है ...*(व्यवधान)* उसमें अमृतसर, केदारनाथ, अजमेर, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, द्वारका, अमरावती, कांचीपुरम, वेलंकनी और गुवाहाटी शामिल किया गया है। ...*(व्यवधान)* देवघर टूरिज्म सर्किट की बात की गई है, ...*(व्यवधान)* वर्तमान में प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, ...*(व्यवधान)* यदि राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मिलता है तो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय उस पर उचित कार्रवाई करेगी। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के बारे में कहा है ...*(व्यवधान)* उसकी डीपीआर में कुछ कमियां पाई गईं थीं, मंत्रालय ने इसे दुबारा करेक्शन के लिए सरकार के पास भेजा है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न विशेष रूप से पर्यटन मंत्री जी के लिए है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके माध्यम से कई पर्यटन स्थलों को उन्नत किया जा रहा है और बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है।

ओडिशा में एक महानदी सर्किट था जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से भी सहायता दी जा रही थी। लेकिन विस्तृत उत्तर में, जो माननीय मंत्री जी द्वारा दिया है, महानदी सर्किट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारी सभ्यता इस नदी के दोनों किनारों पर ही विकसित हुई है। कलिंग सभ्यता महानदी के तट पर फली-फूली और इससे हमें पिछले 2000 वर्षों के इतिहास का पता चलता है।

इसलिए, मैं सरकार से और आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो महानदी सर्किट विकसित किया जा रहा था, वह योजना की सूची में है या उसे पहले से ही हटा दिया गया है।

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा: मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें न तो प्रश्नकर्ता का चेहरा देख पाना संभव हो पा रहा है और न ही उनकी आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि किसी भी मंत्री को जवाब देने से पहले कम से कम प्रश्नकर्ता का चेहरा देख पाएं और उनकी बात भी पूरी तरह से सुन पाए।

माननीय सदस्य ने महानदी परियोजना के बारे में प्रश्न किया है, मैं इस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.के.सुरेश, श्री रवनीत सिंह, श्री गौरव गोगोई, श्री निनोंग इरिंग, श्री राजीव सातव, कुमारी सुष्मिता देव, श्री आर. धुव्रनारायण, श्री आभिजीत मुखर्जी, श्री बी.एन.चन्द्रप्पा, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री बी.वी.नाईक, श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्री सी.एल.रुआला, मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि कृपया अपने हाथ के प्लेकार्ड को नीचे रखें, [अनुवाद] कृपया कोई भी प्लेकार्ड नहीं दिखाए।

… *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। कृपया कोई प्लेकार्ड नहीं दिखाए।

… (*व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष जी, धन्यवाद, वर्ष 2012-13 में हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से एक रुपये भी नहीं मिला है। वर्ष 2013-14 में मात्र 14 करोड़ रुपये दिया। क्या हिसार लोक सभा में आठ हजार साल पुरानी राखीगढ़ी की हड़प्पन साइट को डेवलप करने के लिए विभाग ने इस टूरिज्म साइट को डेवलप करके पूरी दुनिया में मॉडल टूरिज्म बनाने के लिए क्या कोई प्रोजेक्ट बनाया है? इसके अलावा कुरूक्षेत्र, जो महाभारत की धरती है, आज पूरी दुनिया से लोग कुरूक्षेत्र देखने आते हैं, वहां के सरोवर के सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने कोई स्पेशल पैकेज देने का कोई प्रस्ताव बनाया है?

डॉ. महेश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदया, किसी भी प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त प्रौजेक्टों को प्रॉयराइटजेशन मीटिंग द्वारा यह तय किया जाता है कि किस-किस सर्किट को, किस-किस प्रौजेक्ट को उसमें लिया जाये। ...(व्यवधान) मैं इस विषय में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र को इस बार स्वदेश दर्शन योजना के तहत घोषित कृष्णा सर्किट के अंदर लिया गया है। ...(व्यवधान) मैं स्वयं भी दो बार कुरूक्षेत्र होकर आया हूं। ...(व्यवधान) वहां का पर्यटन, धार्मिक और आध्यात्मिक करैक्टर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार संकल्पित है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य जिस राखीगढ़ी योजना, हिसार को हमारे संज्ञान में लाये हैं, उस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करके मैं उन्हें ज्ञात कराऊंगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 184 - श्रीमती एम. वसन्ती

(प्रश्न 184)

श्रीमती एम. वसन्ती: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पाइपलाइन गैस कनेक्शन को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने की कोई योजना है? ... *(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदया, नई सरकार ने पूरे देश में 15,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने की पहल की है। *...(व्यवधान)* देश के कुछ हिस्सों में, कुछ राज्य सरकारों ने महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भारत सरकार के साथ साझेदारी शुरू की है। *...(व्यवधान)* केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की ग्राम स्तर तक नई पाइपलाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी योजना है। ... *(व्यवधान)*

प्रमुख शहर पाइपलाइन के अलावा, नए क्षेत्रों में वितरण के लिए नई पाइपलाइन लगाने के लिए पी.एन.जी.आर.बी. सक्रिय है। *...(व्यवधान)* हाल ही में, बैंगलोर के बाहरी इलाकों में, पी.एन.जी.आर.बी. के हस्तक्षेप के कारण, नई पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। सरकार की वितरकों के माध्यम से भी पाइपलाइनों का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी योजना है। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कृपया दूसरा अनुपूरक रखें।

... (व्यवधान)

श्रीमती एम. वसन्ती: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या भारत सरकार के पास पाइपलाइन कनेक्शन के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति शुरू करने और सड़क परिवहन के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति से बचने की कोई योजना है। ... *(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदया, सरकार अब पेट्रोलियम उत्पादों को चार प्रमुख माध्यमों से परिवहन कर रही है - पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और जल परिवहन। *...(व्यवधान)* व्यवहार्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, बाजार के आकार के अनुसार और भौगोलिक स्थिति के अनुसार, सरकार इन सभी आपूर्ति को उन्नत करने की योजना बना रही है। *...(व्यवधान)* हम एक प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क की भी योजना बना रहे हैं। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न संख्या 185 - श्री हरीश द्विवेदी।

... (व्यवधान)

(प्रश्न 185)

[हिन्दी]

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय रेल मंत्री जी से पांच प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को उस रूट की अन्य ट्रेनों में स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रहा है? ...(व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे स्थान रिक्त होता है, वैसे उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाता है। ...(व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: माननीय अध्यक्ष जी, सीट कन्फर्म होने की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से दी जाती है, क्या मंत्रालय इसी प्रकार यात्रियों को ट्रेनों के विलंब होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से देने के बारे में विचार कर रहा है? ...(व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ट्रेनों के विलंब की सूचना के बारे में जानना चाहते हैं, यात्रियों को एसएमएस अलर्ट द्वारा सीट कन्फर्मेशन की सूचना दी जाती है, ट्रेनों के विलंब की सूचना आने वाले दिनों में देश भर के यात्रियों को दी जाए, इसका इंतजाम किया जा रहा है।...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आरक्षण और आधुनिकीकरण के बारे में बताया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं उनका ध्यान मुम्बई की लोकल ट्रेन की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां खासकर छुट्टी के दिन और रविवार को यात्रियों को 15 से 25 मिनट टिकट लेने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। मेरा प्रश्न है कि क्या आप इस संबंध में मुम्बई के सांसदों की विशेष बैठक बुलाकर चर्चा करेंगे? मुंबई के सांसदों का इस संबंध में सुझाव है। क्या आप मुम्बई के सांसदों की विशेष बैठक बुलाकर इस समस्या का हल करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, रेल बजट भाषण में रेल मंत्री जी ने ऑपरेशन फाइव मिनट की बात कही थी ताकि पांच मिनट में यात्रियों को टिकट मिल जाए। इस दृष्टि से टिकट वैंडिंग मशीनों का भी इंतजाम मुम्बई सब-अर्बन में किया गया है। मोबाइल फोन पर भी अब रिजर्व टिकट मिलने लगे हैं। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, इसी सत्र के दौरान मुम्बई सांसदों के साथ एक बैठक रेल मंत्री जी के साथ कराई जा सकती है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती आर. वनरोजा: महोदया, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि रेलवे टिकटिंग काउंटर बूथों पर भीड़ कम हो गई है, क्योंकि लोग अब ई-टिकट का विकल्प चुनते हैं। लेकिन ई-टिकटिंग की समस्या यह है कि सर्वर क्षमता धीमी होने के कारण इसमें काफी समय लग रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से सर्वर क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुरोध करती हूँ ताकि ई-टिकट बुकिंग शीघ्र की जा सके।

मैं जानना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे ने नैक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग का इंतजाम किया है। पहले 2000 टिकट प्रति मिनट मिलती थी अब इसकी क्षमता 7200 टिकट प्रति मिनट हो गई है। आने वाले दिनों में क्षमता और बढ़ाई जाए, रेलवे इसका इंतजाम करने में लगी है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बुंदेलखंड से आता हूं। रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर से दूर बड़े कस्बे के लोगों को टिकट के लिए असुविधा होती है। उदाहरण वे लिए सागर जिले में गढ़ाकोटा जगह है। यहां से सागर 30 किलोमीटर दूर है और स्टेशन भी 30 किलोमीटर दूर है। ई-टिकट अगर कन्फर्म नहीं होती है तो कैंसल हो जाती है। माननीय मंत्री जी ने वैंडिंग मशीन की बात कही है। मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्रालय का इस प्रकार की जगहों पर वैंडिंग मशीन लगाने का कोई विचार है? क्या मंत्रालय का गढ़ाकोटा बांदकपुर आदि धार्मिक तीर्थ स्थलों के लिए ऐसा कोई विचार है? ...*(व्यवधान)*

श्री मनोज सिन्हा : यह विचार नहीं है, बल्कि हमने यह रेल बजट में इन्कलूड किया है। रेल मंत्रालय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अधिक से अधिक टिकट वैंडिंग मशीन लगाने पर विचार करेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सुन्दरम: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने अनुपूरक को पूछने से पहले माननीय रेल मंत्री को, उपाध्यक्ष और मेरे द्वारा किये गए अनुरोधों को स्वीकार करके आदि पेरुक्कु महोत्सव के दौरान सलेम से करूर तक चार विशेष रेलगाड़ियों के संचालन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदया, ई-टिकटों को रद्द करने में अनियमितता पाए जाने के कारण, आई.आर.सी.टी.सी. ऑनलाइन बुकिंग में गैर-वापसी के कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक ऑनलाइन बुकिंग में लेन-देन शुल्क के नाम पर आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा एक निश्चित राशि एकत्र की जाती है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि जनशक्ति और अन्य बुनियादी ढांचे का उपयोग बहुत कम है। हमारे माननीय मंत्री के उत्तर से, यह स्पष्ट है कि टिकट प्रणाली का आधुनिकीकरण एक निरंतर और सतत प्रक्रिया होगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान प्रणाली के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए एक उन्नत ई-टिकट बुकिंग और रद्दीकरण का तरीका सक्षम किया जाएगा, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लेन-देन शुल्क माफ करने पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, वह मूल प्रश्न से हटकर है। *...(व्यवधान)* माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य ने 4 नई ट्रेन्स चलाने के लिए एक लिखित पत्र दिया था, *...(व्यवधान)* जिस पर रेलवे ने विचार किया और उस त्यौहार के दौरान करूर-सलेम के मध्य 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया। *...(व्यवधान)* जहां तक उन्होंने जो इस प्रश्न की जानकारी चाही है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि रिजर्व टिकटिंग का इंतजाम आईआरसीटीसी कर रही है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बार फिर सभी से बार बार कहूंगी कि गौरव गोगोई जी, निनोंग इरिंग जी, वेणु गोपाल जी, मैं आप सबके नाम फिर से दोहरा रही हूं। आप लोग जितने भी अपने हाथ में पोस्टर्स लिये हुए हैं, प्ले कार्ड्स लिये हुए हैं, वे नीचे रख दीजिएगा। आप सभी से मैं बार बार निवेदन कर रही हूं। नाम लेकर सबको बोल रही हूं। प्ले कार्ड्स हाउस में नहीं चलेंगे।

... *(व्यवधान)*

(प्रश्न 186)

श्री राम टहल चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, बाल श्रमिकों के संबंध में देश में बाल मजदूरों को रोकने संबंधी कानून होने के बावजूद भी देश में बाल मजदूरी देखने को मिल रही है। *...(व्यवधान)* वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार देश में 1 करोड़ 26 लाख बाल मजदूर थे,*...(व्यवधान)* जिसमें 1 करोड़ 20 लाख देश के खतरनाक उद्योगों में कार्यरत थे तथा जिनकी उम्र पढ़ने-लिखने की होती थी, उनको खतरनाक उद्योगों में कार्य करना पड़ता था। *...(व्यवधान)* दुनिया में भारत में व्याप्त बाल मजदूरों को लेकर कई बार निन्दा भी हो चुकी है। देश में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना *...(व्यवधान)* देश के 70 जिलों में लागू है। *...(व्यवधान)*

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह बाल श्रमिकों की परिभाषा फिर से डिफाइन करने वाले हैं?...(व्यवधान) चूंकि बड़े लोगों के छोटे बच्चे इसका फायदा मंच पर गाना गाकर और नाच करके उठा रहे हैं और गरीब के बच्चे जब काम करते हैं तो उन पर रोक लगाई जाती है।...*(व्यवधान)* इसको क्या आप फिर से परिभाषित करेंगे?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अपना प्रश्न पूछिए। इतने सारे एक साथ प्रश्न नहीं पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री राम टहल चौधरी: मैडम, अभी कई जगहों से, कई राज्यों से कोई भी उसका जवाब नहीं आया है।*...(व्यवधान)* एक दो राज्यों से जो जवाब आया है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है, उसकी सूचना इसमें नहीं है।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों से सूची उपलब्ध नहीं है, उसको कब तक सूची उपलब्ध कराएंगे और दोषी व्यक्तियों व पदाधिकारयों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, मैं पहले ही माननीय सदस्य को उत्तर दे चुका हूँ। लेकिन यहां वे प्रश्न पूछ रहे थे कि बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? बाल श्रम का कारण गरीबी, पिछड़ापन, और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कारण होते हैं। लेकिन जहां तक उनके प्रश्न का संबंध है, मैंने जो उत्तर दिया है, वह यह है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1.26 करोड़ बाल श्रमिक थे।

इसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना में, जिसका विवरण मैंने उन्हें दिया है, यह आंकड़ा 43.53 लाख था। ...*(व्यवधान)* यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति में गिरावट आ रही है। ...*(व्यवधान)* भले ही माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, राज्य उत्तर नहीं दे रहे हैं और बाल श्रम के उन्मूलन में आगे नहीं आ रहे हैं। *... (व्यवधान)*

उन्होंने विशेष रूप से दो बातों का उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)* हमारे पास जो भी सूचना है, वह राज्य सरकारों से प्राप्त होती है क्योंकि श्रम का विषय समवर्ती सूची में आता है। इसलिए, उपयुक्त सरकारें केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ राज्य क्षेत्र में भी हैं। ...*(व्यवधान)* हम नियमित रूप से राज्यों से पूछ रहे हैं और उनसे सूचना ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, मैं यह बताना चाहता था कि बहुत सारे प्रश्न, जो उन्होंने पूछे हैं, वे बचपन बचाओ आंदोलन से सम्बंधित हैं। ... *(व्यवधान)*

मैंने श्री कैलाश सत्यार्थी को अपने *मंत्रालय* में आमंत्रित किया था। **[हिन्दी]** मैंने उनका सम्मान किया, उनसे परामर्श किया। उन्होंने जो भी विचार हमारे सामने रखे, उन्हें कंसिडर कर रहे हैं। सरकार नए कानून बनाने वाली है।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, नए कानून में इन प्रावधानों को लाने की कोशिश करेंगे।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी: महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों से अभी तक सूची उपलब्ध नहीं हुई है, उन राज्यों से कब तक सूची उपलब्ध होगी और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, इसका

कोई उत्तर नहीं है।...*(व्यवधान)* जिन बच्चों को बाल मजदूरी से हटाया गया है, क्या उनके पुनर्वास, प्रशिक्षण और कौशल रोजगार योजना से जोड़ने की सरकार की कोई योजना या प्रावधान है?...*(व्यवधान)*

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदय, महाराष्ट्र और विशेषकर झारखंड, दोनों राज्यों से मैंने समाचार प्राप्त किए हैं।...*(व्यवधान)* आपका जो प्रश्न है कि जितने इंस्पेक्शन हो रहे हैं उतने कंविक्शन नहीं हो रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि हम इसके लिए नए-नए प्रावधान करेंगे। ...*(व्यवधान)* इन बच्चों को नेशनल चाइल्ड लेबर प्राइयोरिटी के तहत रोजगार देने का प्रावधान करने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद] महोदया, मैं इस सदन को इसके तीन कारण बताना चाहता था। वी.वी. गिरि राष्ट्रीय संस्थान ने एक सर्वेक्षण किया है। ...*(व्यवधान)* सर्वेक्षण में तीन कारणों का उल्लेख किया गया था। ...*(व्यवधान)* पहला, बड़ी संख्या में मामलों में, आरोपियों को विमुक्त कर दिया गया था क्योंकि अभियोजन उचित संदेह से परे अपराध को साबित करने में विफल रहा। ...*(व्यवधान)* दूसरा कारण स्वतंत्र गवाहों का न मिलना था। ...*(व्यवधान)* तीसरा निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों का दृष्टिकोण अत्यंत ही गैर-जिम्मेदाराना था। *(व्यवधान)* यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रतापराव जाधव।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री जी. हरि।

... (व्यवधान)

श्री जी. हरि: माननीय अध्यक्ष महोदया, केवल बाल श्रम के उन्मूलन की बात करने से कोई वांछित परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने हमारी माननीय मुख्यमंत्री, *पुरैची थलाइवी* अम्मा के कुशल नेतृत्व में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं जिससे कि बच्चे काम न करें

और वे अपनी शिक्षा जारी रखें इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही हैं। इस तरह तमिलनाडु सरकार देश के अन्य राज्यों की तुलना में राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या को कम करने में सक्षम रही है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अन्य राज्य सरकारों को भी तमिलनाडु के पद चिन्हों पर चलने का निर्देश दें जिससे कि बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। वास्तव में, यहाँ पर यह कहना अनावश्यक होगा कि इसके लिये बहुत धन की आवश्यकता होगी। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि तमिलनाडु की राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएं जिससे कि इस कार्य को आगे बढाया जा सके। धन्यवाद।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: तमिलनाडु सरकार अपने राज्य से बाल श्रम उन्मूलन के लिये जो परियोजनाएं चला रही है, वे बहुत अच्छी हैं और ये कार्य अत्यंत रूचि के साथ किया जा रहा हैं। मैं उनकी परियोजनाओं की सराहना करता हूं। मैं माननीय सदस्यों की भी प्रशंसा करता हूँ।

मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नामक योजना के तहत, हमारे पास बड़ी संख्या में स्कूल और बड़ी संख्या में परियोजनाएं हैं। मैं इस पर पुनः विचार करूंगा। *...(व्यवधान)* लेकिन यदि, बाल श्रम का पूरी तरह से उन्मूलन किया जाना है ... *(व्यवधान)* 13 मई, 2015 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 14 वर्ष से कम उम्र का होने पर उन्हें कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक अन्य बात है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को अनिवार्य रूप से इसके साथ जोड़ा जाएगा। यह अधिदेशात्मक होगा।

एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बाल श्रम के बारे में व्यावहारिक और जमीन से जुड़ी वास्तविकता के बारे में बताना चाहता था, और जिसे हमने देखा भी है, वह यह है कि स्कूल खत्म होने के बाद और छुट्टियों के दौरान वे पारिवारिक उद्देश्य के लिए भी मदद कर सकते हैं। *...(व्यवधान)* आज-कल हम संज्ञेय अपराधों के लिए कड़ी सजा दे रहे है। *... (व्यवधान)*

इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल श्रम का समाप्त होना स्वागत योग्य है और अच्छा भी है। *...(व्यवधान)* हमारी नई पहल जो हम करना चाहते थे, उसमें तमिलनाडु में चल रही सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को भी शामिल किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत कतिपय व्यवसाय और खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे हुए बच्चों को पुनर्वास एवं उनके एनसीएलपी विशेष योजना में शामिल करने का जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाता है, *...(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गरीब परिवारों के बच्चे जब बाल मजदूरी में पाये जाते हैं, *...(व्यवधान)* तो उनके माता-पिता को दंडित करने का प्रावधान किया जाता है, लेकिन इंडियन आइडल जैसे भव्य-बड़े कार्यक्रमों में बड़े-बड़े सम्पन्न परिवारों के बच्चे, जिनसे मनोरंजन उद्योग में, टीवी सीरियलों में काम कराया जाता है, क्या उनको बाल- श्रम की श्रेणी में लाने के संबंध में सरकार कोई विचार कर रही है या नहीं? *...(व्यवधान)*

आपने प्रतिशत में व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों की जो संख्या बतायी है, उनमें पान, बीड़ी, सिगरेट के काम में लगे बच्चों की जो संख्या बतायी है, वह 2,52,574 है। *...(व्यवधान)* अकेले मध्य प्रदेश में दस लाख से ज्यादा बीड़ी श्रमिक हैं, जिनमें तीन लाख के आसपास बाल श्रमिक केवल मध्य प्रदेश में है। *...(व्यवधान)* इसके साथ ही साथ स्लेट-पेंसिल उद्योग, पटाखा उद्योग, चूड़ी उद्योग और चिमनियों की सफाई के काम में भी बच्चे लगे हैं। *...(व्यवधान)* बड़ी-बड़ी चिमनियों की सफाई में बच्चों को रस्से बांधकर उतारा जाता है। इन सब की तरफ हमारा ध्यान जाता है या नहीं? *...(व्यवधान)* ऐसे दोष-सिद्धि के कितने प्रकरण हमारे सामने आये हैं, जिन्हें दोष-सिद्धि के लिए दंडित किया गया है। *...(व्यवधान)* इसके संबंध में जो जानकारी उपलब्ध करायी गयी है, उस जानकारी में कई राज्यों के आंकड़े ही उपलब्ध नहीं हुए हैं। *...(व्यवधान)* अभी-अभी आपने अपने उत्तर में बताया, महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, समाचार पत्रों में बालश्रमिकों के शोषण की जानकारियाँ आती रहती हैं, लेकिन इसमें इसका उल्लेख नहीं है। *...(व्यवधान)*

बिहार के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली के बारे में भी कोई दोष-सिद्धि की संख्या यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जबकि दिल्ली में दोष-सिद्धि के, बालश्रमिकों के शोषण की बहुत सारी जानकारियाँ समाचार पत्रों में निकलती रहती हैं। *...(व्यवधान)*

इसके साथ-साथ पर्यटन केन्द्रों में बालश्रमिकों का जो बड़ी संख्या में उपयोग किया जाता है, उनको यौन शोषण के काम में झोंका जाता है। *...(व्यवधान)* इस संबंध में सरकार की जो नीति बनी हुई है कि पर्यटन उद्योग को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आचार संहिता में शामिल किया गया है। *...(व्यवधान)* इसमें होटलों के बारे में जो प्रावधान है, उसमें 'आनिवार्य' को 'ऐच्छिक' रखा गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें से 'ऐच्छिक' को समाप्त करके 'आनिवार्य' किया जाएगा या नहीं, ताकि पर्यटन उद्योग में बालश्रमिकों के शोषण को रोका जा सके। *...(व्यवधान)*

श्री बंडारू दत्तात्रेय : माननीय सदस्य ने अच्छे विषय के बारे में प्रश्न पूछा है। *...(व्यवधान)* इसमें नया कानून आने वाला है। *...(व्यवधान)* नये कानून के अंतर्गत हम लोगों ने जो फैमिली का डेफिनिशन दिया है, उसमें बच्चे के इम्प्लायर एंड इम्प्लायमेंट का जो रिलेशन रहेगा, *...(व्यवधान)* उसमें केवल इम्प्लायर और इम्प्लाई का रिलेशन नहीं है, केवल उनके माता-पिताओं को हेल्प करने के लिए काम करने का नया प्रावधान आने वाला है। *...(व्यवधान)* लेकिन बाकी तीन राज्यों के बारे में जो उन्होंने पूछा- महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश के बारे में, मैंने जो जानकारी दी है, *...(व्यवधान)* उसके अंतर्गत मुझे जितनी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, *...(व्यवधान)* उन्हें हम बार-बार देते रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि राज्य सरकारों से हम जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, *...(व्यवधान)* दिल्ली और विशेषकर महाराष्ट्र की जानकारी प्राप्त न होने का एक ही कारण है कि जितने विषय हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। *...(व्यवधान)* मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन और जानकारी प्राप्त करके मैं सदस्य महोदय को उपलब्ध कराना चाहूँगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी से बार-बार अनुरोध कर रही हूं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: रवनीत जी, श्री गौरव गोगोई, श्री डी.के. सुरेश, सातव जी, सुष्मिता जी, ध्रुवनारायण जी, श्री आभिजीत मुखर्जी, के.वेणुगोपाल जी, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री दीपेन्द्र हुड्डा आदि जो-जो लोग हाथ में प्लेकार्ड्स लेकर स्लोगन दे रहे हैं, प्लीज, अपने-अपने प्लेकार्ड्स रख दें। कृपया सभा को बार-बार बाधित न करें।

प्रश्न संख्या 187, श्री राम चरित्र निषाद।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 187)

श्री राम चरित्र निषाद : अध्यक्ष महोदया, अभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। छोटे स्टेशनों पर जब ट्रेन खड़ी होती है तो पीने का पानी प्लेटफार्म पर बीच में या एकदम लास्ट में उपलब्ध होता है। स्टेशनों पर भीड़ बहुत हो जाती है, जिससे यात्रियों को पीने के पानी की समस्या होती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इस सुविधा में विस्तार करने की सरकार की कोई योजना है?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, पीने का पानी उपलब्ध कराना, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना भारतीय रेल की जिम्मेदारी है। सात कैटेगरी के हमारे स्टेशन्स हैं, विभिन्न श्रेणियों में हमने इसकी संख्या निर्धारित की हुई है। ए-1 श्रेणी के स्टेशनों पर पानी पीने के 20 स्थान रहते हैं, ए कैटेगरी के स्टेशनों पर भी ऐसे 20 स्थान रहते हैं। जिन छोटे स्टेशनों की बात माननीय सदस्य ने उठाई है, ठीक है, वहां उतनी उपलब्धता नहीं है, लेकिन संसाधनों के आधार पर हम उसमें विस्तार कर रहे हैं। वाटर वेंडिंग मशीन लगाने का एक नया प्रस्ताव भारतीय रेल के विचाराधीन है, जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने बजट में भी किया है, उस प्रक्रिया को हम आने वाले दो महीने में पूरा करके अधिक से अधिक स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाने का इंतजाम करेंगे।

श्री राम चरित्र निषाद : अध्यक्ष महोदया, यह बड़ी खुशी की बात है कि वाटर वेंडिंग मशीनें लगाने का काम चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि गाड़ियों में मुफ्त पानी मिलता है, उसी तरह से अन्य ट्रेन्स की जनरल बोगियों में प्रत्येक टिकट के साथ एक पानी की बोतल मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। यह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में चाय, नाश्ता, भोजन और पानी, सब कुछ टिकट में इनक्लूडेड होता है, इसलिए वहां एक बोतल पानी मुफ्त में दिया जाता है। रेल नीर और बाकी स्टैंडर्ड पानी की बोतलें 15 रुपये में एक

लीटर और दस रुपय में आधे लीटर की दर से देश भर में उपलब्ध हैं और यात्री उनको अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। सस्ते दर पर पानी यात्रियों को मिले, इसके लिए वाटर वेंडिंग मशीन लगाने का इंतजाम भारतीय रेल कर रही है।

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक गंभीर मामला है क्योंकि एक तरफ, हम विश्व स्तरीय स्टेशनों की बात करते हैं और दूसरी तरफ, हम रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल या दिव्यांग लोगों को पहुंच प्रदान करने में असमर्थ हैं।

महोदया, मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि वे 4,516 वाटर वेंडिंग मशीनें लगायेंगे, लेकिन उन्होंने कोई समय-सीमा नहीं बताई है, और उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह कितने स्टेशनों पर लगाई जाएँगी।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सभी स्टेशनों को शामिल किया जाएगा और क्या उन्हें अगले पांच वर्षों के भीतर शामिल किया जाएगा या नहीं।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, अभी संख्या बता दी गयी है कि 4619 वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। आठ हजार से ज्यादा हमारे स्टेशन हैं, वे सारे स्टेशन्स इसमें कवर नहीं हो पाएंगे। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हम यह विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश भर के स्टेशनों पर पूरा करें और पांच वर्ष में निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड करने के लिए ऐसे रेलवे स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें ए, बी, सी या डी केटेगरी में बांटा जा रहा है?...(व्यवधान) ऐसी कोई नीति सरकार की है और यदि है तो उसका क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है और ऐसे रेलवे स्टेशंस की संख्या कितनी है? इसके अलावा क्या इस

मामले में सांसदों की भी रिकमंडेशन ली जाएगी?...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था रेलवे की ओर से बन सकती है कि जो माननीय सदस्य हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्हें भारत दर्शन के लिए ले जाया जा सके?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, आपके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना मैं समझता हूं कि हम लोगों की यह परम्परा नहीं है। यह दूसरे लोगों की है, जिसके बारे में चंदू माजरी जी जानते हैं। जहां तक रेलवे स्टेशंस की श्रेणी के सम्बन्ध में उन्होंने जानना चाहा है, ए-1, ए, बी, सी, डी या ई, एफ केटेगरी के रेलवे स्टेशंस भारतीय रेल में हैं। ये केटेगरीज यात्रियों की संख्या और वार्षिक आय के आधार पर भारतीय रेल तय करती है। अगर चंदू माजरा जी कोई सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से हमारा मंत्रालय गम्भीरता से ऐसे स्टेशंस के उच्चीकरण पर विचार करेगा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे भी सहयोग चाहती हूं, पहले प्लैकार्ड्स रख दीजिए। सुरेश जी, रवनीत जी, गौरव गोगोई जी, हुड्डा जी, आप भी चेयर के साथ सहयोग करें और प्लैकार्ड्स बाजू में रख दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्लेकार्ड को दूर रखें। तभी मैं इस विषय पर विचार करूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सबसे पहले, आपको प्लेकार्ड्स को दूर रखना होगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप प्लैकार्ड्स बाजू में रखें, फिर मैं बात करूंगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले प्लेकार्ड्स को नीचे रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। पहले प्लैकार्ड्स बाजू में रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह।

श्री उदय प्रताप सिंह: अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं रेल मंत्री जी और भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में बेहतर से बेहतर सुविधाएं और बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश की है। *...(व्यवधान)* हालांकि उसमें कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसद यहां अवरोध पैदा कर रहे हैं। रेल को सही चलने से वे रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। पूरे राष्ट्र में इनका जो मखौल उड़ाया जा रहा है और जो निंदा की जा रही है, आने वाले समय में लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र में इटारसी एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। वहां से रोजाना हजारों की संख्या में यात्री देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाते हैं।...*(व्यवधान)* लगभग 300 यात्री रेलगाड़ियां वहां से प्रतिदिन गुजरती हैं।...*(व्यवधान)* मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इटारसी रेलवे स्टेशन पर पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए वहां पर रेल नीर या पीने का पानी तैयार करने के लिए कोई कारखाना स्थापित करने का रेल मंत्रालय का विचार है, जिससे वहां यात्रियों को पीने का पानी मिल सके? अगर वहां के यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल

मंत्रालय रेल नीर या पीने के पानी की व्यवस्था के लिए कोई बेहतर संसाधन का इंतजाम कर रहा है, तो वह क्या है, यह मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष जी, रेल नीर के प्लांट कहां पर लगाए जाएंगे, इस बारे में रेल मंत्री जी रेल बजट में घोषणा करते हैं। अभी तक की सूचना के अनुसार इटारसी में कोई रेल नीर का प्लांट प्रस्तावित नहीं है। ...*(व्यवधान)* लेकिन माननीय सदस्य के सुझाव के बारे में मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और रेल मंत्रालय इस पर निश्चित रूप से गम्भीरता से विचार करेगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप गलत संदेश पूरे देश को दे रहे हैं। यह नियम बाह्य वर्तन है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: पहले प्लेकार्ड्स को नीचे रखें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको प्लैकार्ड्स दूर रखने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष:मेरा निवेदन है कि अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। प्लैकार्ड्स बाजू में रखिए, फिर बात हो सकेगी। नियम बाह्य वर्तन है। जितने भी नाम मैंने लिए हैं।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 188 - श्री फग्गन सिंह कुलस्ते।

(प्रश्न संख्या 188)

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से सीधा सा प्रश्न पूछा था कि एयर इंडिया के लिए विमानों की खरीद की बात आयी थी, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि एयर इंडिया घाटे में चल रही है। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि घाटे में चलने के कारण देश में आवागमन के साधन और विशेषकर नेशनल और इंटरनेशनल हवाई रूट हैं, वहां इस प्रकार की स्थिति आती है...*(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहता हूं कि एयर इंडिया ने विमानों की जो इतनी बड़ी खरीद की है, उसका अमाउंट नहीं बताया है, मैं वह जानना चाहता हूं? इस घाटे की भरपायी करने के लिए सरकार और एयर इंडिया क्या करेगी साथ ही साथ यात्री सुविधाओं को विस्तारित करने के लिए क्या करेगी?

[अनुवाद]

श्री अशोक गजपति राजू: माननीय अध्यक्ष महोदया, नुकसान के अनेक कारण हैं और सरकार का यह प्रयत्न है कि इस पर काबू पाया जाए। आर्थिक रूप से व्यवहार्य अग्रणी एयरलाइन के रूप में एयर इंडिया ने देश को कई मायनों में गौरवान्वित किया है और यह आवश्यक है कि यह एयरलाइन जीवित रहे। निश्चित रूप से जैसे-जैसे समय बीतता है विमान पुराने हो जाते हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है, और इस तरह से नए विमान खरीदे जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए, हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह एयरलाइन भारत के हित में काम करे ताकि यह भारत की उड़ान में यथासंभव सर्वोत्तम सेवा प्रदान कर सके।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि देश में आवागमन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि एयर इंडिया के घाटे की भरपायी कैसे करेंगे? आप एक तरफ घाटा बता रहे हैं और दूसरी तरफ जहाजों की गड़बड़ी की जांच सी.बी.आई. के द्वारा शुरू हुई है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घाटे की भरपायी करने के लिए एयर इंडिया क्या प्रयास करने जा रही है और जो जांच शुरू हुई है, वह कब तक पूरी हो जाएगी? यही मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अशोक गजपति राजू: अध्यक्ष महोदया, मैंने मुख्य उत्तर में ही जानकारी दी है कि एमआरओ सुविधाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में, जो एयरबस को शुरू करना था, जांच चल रही थी; सीबीआई यह जांच कर रही है और उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। यह विचार है कि एयर इंडिया को बहुत गतिशील बनाया जाए और हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमें आशा है कि उठाए गए सभी कदमों से यह बुरे समय से बाहर निकलेगी। हाल के दिनों में कार्य-निष्पादन मानक एक उत्साहजनक रुझान दिखा रहे हैं। यदि यह प्रवृति जारी रहती है, तो एयर इंडिया के आर्थिक संकट से बाहर आने की संभावना है। सरकार इस एयरलाइन का समर्थन कर रही है क्योंकि यह भारतीय आकाश और भारतीय लोगों की सेवा करती है।

माननीय अध्यक्ष: आप नियम के विरुद्ध व्यवहार कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्लेकार्ड्स को दूर रखें। मैं आपसे बार-बार अनुरोध कर रही हूँ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका व्यवहार नियम के विरुद्ध है। मुझे खेद है। कृपया प्लेकार्ड्स को दूर रखें।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने एयर इंडिया के लिए जहाज खरीदे, उनके खरीदने के बाद एय़र इंडिया को कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई? जो जहाज खरीदे गये, उसके बाद भी एयर इंडिया को पचास हजार करोड़ और यदि उसका ब्याज आदि मिला लें तो करीब सत्तर हजार करोड़ का घाटा है। वैसे आपने यह नहीं बताया कि एयर इंडिया कितने घाटे में है।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जहाज खरीदने के बाद एयर इंडिया की क्या स्थिति है और वर्तमान में एयर इंडिया कितने घाटे में है?

[अनुवाद]

श्री अशोक गजपति राजू: एयर इंडिया के कार्य-निष्पादन के मानदंड को अगर देखें तो पाते हैं कि यात्रियों की संख्या पहले 15.43 मिलियन से बढ़कर अब 16.90 मिलियन हो गई है। *...(व्यवधान)* इसमें 9.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष में यात्री राजस्व भी 14,150 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,450 करोड़ रुपये हो गया है। *...(व्यवधान)* परिचालन राजस्व भी 18,370 करोड़ रुपये से बढ़कर 19,047 करोड़ रुपये हो गया है। शुद्ध घाटा एक वर्ष में 6,279.60 करोड़ रुपये से घटकर 5,547.40 करोड़ रुपये हो गया है। *...(व्यवधान)* एयर इंडिया थोड़ा सकारात्मक हो गई है और रुझान सभी प्रकार से सकारात्मक दिशा में हैं। *...(व्यवधान)* मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये रुझान जारी रहते हैं, तो यह एयरलाइन जो राष्ट्रीय वाहक के रूप में जानी जाती है, हमारे लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए अपने संकट से बाहर निकलेगी। *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिय़ा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विमान खरीद घोटाले में सीबीआई की जांच लगाई है, उसके बारे में आपने अभी तक जवाब नहीं दिया और आप उसे

अभी ऐसे ही घुमा रहे हो। वह सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और कब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई की जांच की रिपोर्ट जायेगी? इसके अलावा जो घोटाला हुआ है, उसमें जो तत्कालीन मंत्री थे, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री जी को यहां सविस्तार उत्तर देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अशोक गजपति राजू: सी.बीआई. 14 जनवरी 2010 की प्रारंभिक जांच के आधार पर इंडियन एयरलाइंस और एयरबस उद्योग के बीच किये गए समझौते के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र में एम.आर.ओ. सुविधा के निर्माण के मुद्दे पर विचार कर रही है। …. *(व्यवधान)* प्रकरण की जांच अभी भी सी.बी.आई. के अधीन है और एक बार हमारे पास रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद स्वाभाविक रूप से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। *...(व्यवधान)* बेईमानी का आरोप सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है और यहाँ भी ऐसा ही है। यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार का यह प्रयास है कि वे स्कैम इंडिया से स्किल इंडिया की तरफ अग्रसर हो। *...(व्यवधान)* हम इस पर कार्य कर रहे हैं और हमें एक ईमानदार और कुशल सरकार हेतु सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि पिछली सरकार केवल घोटालों की ही सरकार रही हैं, उनके समय में हर जगह घोटाले हुए हैं, परंतु इन्होंने केवल एयर बस घोटाले के बारे में बोला है। लेकिन 787 जहाज की खरीद में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उसमें बाकायदा ऐस्टीमेट कमेटी का भी ऑब्जर्वेशन था।

मेरा प्रश्न यह है कि एडवांस पैसा एयर इंडिया ने दिया, उसके बाद तीन सालों तक 787 जहाजों की सप्लाई नहीं की गई और आज भी छः एयरोप्लेन्स बाकी हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय बोइंग से सारे पैसे वापस लेकर उस समय घोटाले में जो मंत्री शामिल थे, उन पर कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

श्री अशोक गजपति राजू: यह सच है कि एयर इंडिया ने बोइंग से 27 विमानों के लिए ऑर्डर दिया था। ...*(व्यवधान)* उन्होंने 21 विमान डिलीवर कर दिए हैं और उन्हें अभी भी कुछ और डिलीवर करना है, जिनके 2016 तक डिलीवर होने की संभावना है।

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 189 से 202

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300)

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार किया जाएगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) "बलात्श्रम अभिसमय, 1930 के संबंध में "नए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नयाचार और बलात्श्रम (अनुपूरक उपाय) सिफारिशें, 2013 (संख्यांक 203) के अंगीकरण के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2858/16/15]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम 2015 जो 5 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 360 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2859/16/15]

... (व्यवधान)

03.08.2015

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2860/16/15]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सही में देश में गलत संदेश जा रहा है, आपके अनरूली बिहेवियर से।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) एयर इंडिया लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिये हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2861/16/15]

(2) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2862/16/15]

(4) (एक) कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2863/16/15]

… (व्यवधान)

03.08.2015

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा और उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2864/16/15]

(3) रेल अधिनियम 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (वैगन की अतिभराई के लिये दंडात्मक प्रभार (संशोधन) नियम 2015 जो 10 जुलाई 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.550(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2865/16/15]

(4) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2866/16/15]

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2867/16/15]

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2868/16/15]

(तीन) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2869/16/15]

(चार) कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2870/16/15]

(पाँच) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 में हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2871/16/15]

(छः) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2872/16/15]

(सात) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2873/16/15]

(आठ) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिये हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2874/16/15]

(नौ) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2875/16/15]

(दस) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2876/16/15]

(ग्यारह) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2877/16/15]

(बारह) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिये हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एलटी 2878/16/15]

(तेरह) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2879/16/15]

... (व्यवधान)

03.08.2015

अपराह्न 12.01 बजे

याचिका समिति
चौथे से छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्निलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, दिल्ली द्वारा अध्येतावृत्तियों के यचन में कथित आनियमितताओं के बारे में प्रो. एस.पी. सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 44वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।
2. यवतमाल-मुर्तिजापुर-अचलपुर-पुलगांव छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में श्री आनंदराव अडसुल और श्रीमती भावना गवली, संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।
3. बेसिक ट्रेनिंग रेजीमेंट (बीटीआर), आर्मर्ड कोर्प्स सेंटर, अहमदनगर द्वारा दखल की गई रक्षा भूमि से नागरदेवले-भींगर के गांव वालों को आने-जाने के मार्ग का आधिकार देने से संबंधित मामले के बारे में श्री दिलीप गांधी, संसद सदस्य, लोक सभा से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा-की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

03.08.2015

अपराह्न 12.01 ½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : महोदया, मैं रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

... (व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 2880/16/15.

अपराह्न 12.02 बजे

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव – समय बढ़ाया जाना

[हिन्दी]

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 7 अगस्त, 2015 तक बढ़ाती है।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 7 अगस्त, 2015 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 12.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

कर्नाटक में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा मद (सं) .9, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

... (व्यवधान)

श्री बी.एस. येदियुरप्पा (शिमोगा): महोदय, मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे उस पर एक वक्तव्य दें:

"कर्नाटक में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं।" *... (व्यवधान)*

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, हमने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। *... (व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: आप पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, येदियुरप्पा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। *...(व्यवधान)*

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.01 बजे</u>

[अनुवाद]

इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : उन्होंने एक ऐसे विषय को ध्यानाकर्षण का मुद्दा बनाया है, जो आज सचमुच में पूरे देश के लिए जरूरत है।*...(व्यवधान)* मैं कांग्रेस के मित्रों से भी निवेदन करूँगा, वेणुगोपाल जी से निवेदन करूँगा कि यह बड़ा अहम मुद्दा है।*...(व्यवधान)* कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या हो रही है और उस पर चर्चा करनी है।*...(व्यवधान)* पूरा देश इसको जानना चाहता है कि हम सब लोग मिलकर आखिर क्या कर रहे हैं?*...(व्यवधान)* यह इतना बड़ा मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप इस पर अभी सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप सचमुच देश के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं।*...(व्यवधान)* देश के अंदर 58 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं और मैं समझता हूँ कि कृषि व्यवस्था हमारे हिन्दुस्तान की रीढ़ है और इस पर जब हम चर्चा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से व्यवधान डालना देश के किसानों के साथ अन्याय है। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं देश के किसानों को यह बताते हुए कि जो बात मैं रखना चाहता हूँ, जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस की ओर से राजनीतिक कारणों से व्यवधान डालने की कोशिश हो रही है। *...(व्यवधान)*

किसान के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं अपने वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूँ। ...*(व्यवधान)*

***1. <u>नोटिस का मूल पाठ</u>**

नोटिस के मूल पाठ को निम्नवत् पढ़ा जाएगाः-

"सरकार को कर्नाटक सरकार द्वारा यथासूचित किसानों की श्रृंखलाबद्ध आत्महत्याओं के बारे में हस्तक्षेप करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र में किसानों की समस्याओं और वहां आई बाढ़ से संबंधित हादसों का समाधान करने के लिए एक भी बैठक नहीं की है। इससे जाहिर होता है कि राज्य सरकार इस आपदा के प्रभाव को कम करने की दिशा में कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है"।

2. <u>भारत में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्यायें</u>

भारत प्रमुख रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है जिसकी लगभग 58 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर आधारित है। कृषि क्षेत्र लोगों के लिए नौकरियों का सृजन और राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित खाद्य अनाजों का उत्पादन करके जनता के विकासार्थ एवं कल्याणार्थ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सम्पूर्ण देश से वर्ष प्रति वर्ष किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के समाचार गंभीर चिंता का विषय हैं। कृषि क्षेत्र की बाबत अनेकों अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट जारी की गई है। तथापि, शोधकर्ताओं के बीच किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के कारणों के बारे में कोई मतैक्य नहीं है। तथापि, इस बिंदु पर सभी सहमत है कि ये आत्महत्यायें बहुआयामी और जटिल घटनाक्रम के लिए हुई हैं। इससे संबंधित जोखिमों

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

को मानस-जीव विज्ञान अथवा सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में चिन्हित किया गया है। तथापि, किसी उप-समूह विशेष के बीच अपेक्षाकृत आधिक संख्या में की जा रही आत्महत्याओं की घटनाएं किसी वृहदतर सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का सांकेतिक स्वरूप हैं। इस संबंध में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के कृषिगत कारणों के साथ-साथ कर्जदारी, फसल की तबाही, सूखा, सामाजिक, आर्थिक और निजी कारण भी शामिल हैं।

अब मैं कर्नाटक राज्य में किसानों द्वारा आधिक संख्या में की जा रही आत्महत्याओं की तरफ आना चाहूंगा, जिसके संबंध में माननीय सांसद ने नोटिस दिया है।

3. <u>राज्य में की जा रही आत्महत्यायें</u>

जैसा कि कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है किसानों द्वारा कर्नाटक में जनवरी से जुलाई (अब तक) तक की गई आत्महत्याओं द्वारा हुई मृत्यु की संख्या 195 है। इस अनुक्रम में यह भी देखा गया है कि मई-जून और जुलाई में आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है। मात्र जुलाई माह में आत्महत्याओं की संख्या 152 दर्ज की गई है।

एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट के अनुसार काश्तकारी/कृषि क्षेत्र में स्वतः नियोजित व्यक्तियों की श्रेणियों के अंतर्गत की गई आत्महत्याओं की संख्या वर्ष 2012 के दौरान 1875 और वर्ष 2013 के दौरान 1403 थी। वर्ष 2014 के दौरान किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या 321 और कृषि मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या 447 थी जो कुल मिलाकर 768 हो जाती है।

3.1 राज्य के पांच जिलों (बलारी, कोपल, रायचूर, यादगिर और गुलबर्ग) के कई भागों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ 8 से 16 अप्रैल के बीच 10 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हुई।

इन जिलों में 23 और 24 अप्रैल, 2015 के दौरान भी भारी वर्षा और ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण 96927 हैक्टेयर से भी आधिक क्षेत्र में धान, कपास, गन्ने, मटर, बाजरे और मक्का की फसल प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने इस आपदा को विशेष मामले के तौर पर लेते हुए एस.डी.आर.एफ. के तहत प्रति हैक्टेयर

25,000 रूपए की सहायता दी है। कृषि और बागवानी फसलों से संबंधित नुकसान को कम करने के लिए आदान राजसहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा 216.35 करोड़ रूपए दिये गये थे।

4. राज्य ने हाल के महीने में वृद्धिकृत आत्महत्याओं की संख्या के निम्नांकित कारण बताये हैः-

(एक) माण्डिया जिले में सबसे आधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई है वहां उनकी संख्या 29 तक पहुंच गई है। इस जिले में गन्ना प्रमुख फसल है।

(दो) चीनी की कीमत 32 रूपए प्रति किलोग्राम से घटकर 20-22 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई है जिसके कारण चीनी फैक्ट्री मालिकों द्वारा भुगतान करने में रूकावट उत्पन्न हुई।

(तीन) फसल उपज को मद्देनज़र रखे बिना किसानों की आत्महत्याओं का सबसे प्रमुख कारण उनकी कर्जदारी है।

(चार) चीनी के मूल्य में गिरवाट आने के अलावा, मक्का और कपास जैसी अन्य कृषिगत जीन्सों के मूल्यों में भी गिरावट आई जिसके कारण किसानों में त्रासदी उत्पन्न हुई।

(पाँच) किसानों ने अलग-अलग स्रोतों से कर्ज लिया है साहूकार और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) उनसे उच्च दरों पर ब्याज ले रही है। एनबीएफसी उनसे 30 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक ब्याज वसूल कर रही है।

(छह) माण्डिया के किसानों ने मुख्यतः घरेलू प्रयोजनों के लिए सोना खरीदने हेतु कर्ज लिया है और अब वे इस लायक नहीं है कि कृषिगत जीन्सों के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण इस कर्ज की अदायगी कर सकें।

5. राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने निम्नलिखित कदम उठाये हैः-

(एक) चूंकि आत्महत्याओं के आधिकांश कारण कर्जदारी बताए गए हैं, इसलिए सरकार के दिनांक पूर्वाह्न 11.7.2015 के आदेश के द्वारा जिला और उप जिला स्तरों पर इस आशय के साथ समितियां गठित की गई है ताकि संबंधित आधिनियमों अर्थात् कर्नाटक मनी लैंडर आधिनियम 1961, कर्नाटक पान ब्रॉकर आधिनियम 1961, चिट फंड आधिनियम 1982, कर्नाटक अत्याधिक ब्याज प्रभारण निषेध आधिनियम 2004 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। 27.7.2015 तक दोषी साहूकारों के खिलाफ 1016 मामले दायर किए जा चुके हैं और इस संबंध में 510 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

(दो) सरकार ने उन बकाया राशियों की अदायगी के लिए किसानों को 1525 करोड़ रूपये की राजसहायता दी है जो उन्हें चीनी कारखानों से लेनी थी। इसके अलावा बकाया राशि का मामला बेबाक करने के प्रयोनार्थ कारखानों में मौजूद चीनी भण्डारों को जब्त कर लिया गया है। इसके बावजूद किसानों को अब भी वर्ष 2014-2015 की बकाया राशि का भुगतान किया जाना है।

(तीन) रागी और ज्वार के मामले में राज्य सरकार ने न्यूनतम सहायता मूल्य के अलावा अतिरिक्त सहायता राशि को बढ़ा दिया है। सरकार ने रागी की बुवाई के समय प्रति क्विंटल 2000 रूपए और ज्वार की बुवाई के समय प्रति क्विंटल 2300 रूपए मूल्य प्रापण की घोषणा की है।

(चार) सरकार शून्य प्रतिशत ब्याज की दर पर 3.00 लाख रूपए तक और 3 प्रतिशत ब्याज की दर पर 10.00 लाख रूपए तक का कर्ज दे रही है। वर्ष 2014-2015 के दौरान शून्य ब्याज दर पर बांटे गये शून्य ब्याज दर की राशि 9300 करोड़ रूपए थी और वर्ष 2015-

2016 के दौरान यह राशि 10,000 करोड़ रूपए है।

(पाँच) राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन किसानों के लिए 35.50 करोड़ रूपए के ऋण मंजूर किया है, जिन्होंने वर्ष 2013-2014 के दौरान प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण लिया था।

(छह) राज्य सरकार ने सूक्ष्म कृषि के लिए सभी प्रकार के किसानों हेतु 90 प्रतिशत की राजसहायता दी है।

(सात) राज्य इस आशय के साथ भू-चेतना स्कीम चला रहा है ताकि शुल्क भू क्षेत्रों में कृषिगत पैदावार और आमदनी में वृद्धि की जा सके। वर्ष 2014-2015 से कर्नाटक के पांच शुष्क अंचलों में वर्षा जल संरक्षण के प्रयोजनार्थ 'कृषि भाग्य स्कीम' चलाई जा रही है। विभाग की विभिन्न राजसहायता स्कीमों के तहत किसानों को रियायती दरों पर बीज व अन्य आदान, वैद्युत हल, कृषि मशीने और सूक्ष्म सिंचाई सेट दिए जा रहे हैं। खरीफ 2015 के दौरान एक एकल निर्गत आभियान कार्यक्रम नामतः 'कृषि आभियान' चलाया गया है ताकि किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ उनको कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी मुहैया कराई जा सके।

(आठ) उप प्रभाग के सहायक आयुत्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद मृत किसान के परिवार को 2.00 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाता है।

(नौ) किसानों के बीच विश्वास को बहाल करने के प्रयोजनार्थ आरोग्य वाणी-104 (स्वास्थ्य हैल्पलाइन) के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चिकित्सा परामर्श सुविधा कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(दस) किसानों में विश्वास कायम करने के लिए कृषि विभाग ने सम्पूर्ण राज्य में जनजागरूकता आभियान शुरू किए हैं जिनमें सभी संबंधित विभागों, बैंकरों, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा सलाहकारों आदि को शामिल किया गया है।

6. राज्य ने यह भी सूचित किया है कि उसने किसानों में विश्वास को बहाल करने के लिए कई दूसरे कदम भी उठाये हैं। जो निम्नानुसार हैः

(एक) कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर किसानों के घरों में जाकर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मृत किसानों के घरो में गये।

(दो) मुख्यमंत्री ने इस बारे में विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया है। मुख्य सचिव ने जिले के सभी उप-आयुत्तों के साथ बैठकें की है और किसानों से संबंधित आत्महत्याओं के मामले पर बातचीत करने के लिए 'विशेष राज्य स्तर बैंकर' बैठक का भी आयोजन किया है।

(तीन) मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई, 2015 को ऑल इण्डिया पर सभी किसानों से अपील की है। इस संबंध में 9 लाख किसानों को परिधि में लेते हुए सामूहिक मोबाइल संदेश भी संप्रेषित किये गये हैं।

7. <u>भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम</u>:

भारत सरकार कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों को राष्ट्र के विकासार्थ अत्यधिक अहमियत देती है। भारतीय समाज के एक वृहद भाग की कृषि पर निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए और खाद्य एवं सम्पोषक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार समुचित नीतिगत प्रयासों और बजटीय सहायता के माध्यम से राज्यों को सहायता उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करके, कृषि संबंधी अभ्यासों, ग्रामीण अवसंरचना, इसके विस्तारण और विपणन आदि में सुधार लाकर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और कृषि

समुदाय की हालत को सुधारने के लिए संधारणीय आधार पर कई कदम उठाये गये हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के 14वे वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत उच्चतर वित्त निक्षेपण को भी सरल कर दिया है। कर्नाटक सरकार को वर्ष 2014-2015 में 14,654.25 करोड़ रूपए मिले थे, वही निक्षेपण राशि बढ़कर 24789.78 करोड़ रूपए हो गई है।

सरकार का ध्यान कृषि से संबंधित लागत को कम करने और किसानों के लिए पारिश्रमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करने, वृद्धिकृत कर्ज को प्राप्त करने के लिए उनकी पहुंच सहज और सरल बनाने पर संकेंद्रित है। अतएव, हमारी सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एस.एच.सी.), नीम आवरण युक्त यूरिया (एन.सी.यू.), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) और राष्ट्रीय कृषि बाज़ार जैसी कई योजनाएं बनाई हैं। राज्य ने पीकेवीवाई के लिए 19.26 करोड़ रूपए, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 7.53 करोड़ रूपए और मृदा स्वास्थ्य कार्डों के लिए 6.46 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं।

एस.डी.एफ. के तहत कर्नाटक सरकार को वर्ष 2014-2015 के दौरान 146.74 करोड़ रूपए की धनराशि दो किश्तों में प्राप्त हुई है। मौजूदा वर्ष 2015-2016 के दौरान राज्य को 207.00 करोड़ रूपए का वृद्धिकृत आवंटन प्राप्त होगा। इस संबंध में सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में पहले ही 103.50 करोड़ रूपए की धनराशि निर्मुक्त कर दी गई है।

किसानों के लाभार्थ केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों में कृषिगत जींसों के न्यूनतम सहायता मूल्यों में वृद्धि करना, कृषिगत क्षेत्रक की दिशा में संस्थागत ऋण प्रवाह को बढ़ाना, किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को कम मूल्य पर बेचने संबंधी मजबूरी को खत्म करने के लिए फसल कटाई के बाद छह माह के लिए ऋण देना, ऋण माफी/राहत, फसल संबंधी ऋणों पर ब्याज में छूट देना, अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पैकेज का पुनरोद्धार करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

श्री बी.एस. येदियुरप्पा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कर्नाटक में किसानों द्वारा आत्महत्या के विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया। मैं कृषि मंत्री का भी आभारी हूँ। ... *(व्यवधान)*

मैं कर्नाटक में किसानों की लगातार हो रही आत्महत्याओं पर अपना गहरा दुःख व्यक्त करता हूं, जो दिन-प्रतिदिन एक महामारी का रूप लेते जा रही है। कर्नाटक की कृषि अर्थव्यवस्था में विशाल सूखाग्रस्त क्षेत्रों के साथ-साथ सुनिश्चित सिंचाई वाले विशिष्ट क्षेत्र भी शामिल है। हमारा राज्य बहुत पहले से ही भूमि सुधारों के विषय में महत्वपूर्ण और संवेदनशील उपाय कर रहा था, लेकिन मैं वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किसानों के प्रति वही सहानुभूति का स्तर नहीं देख पा रहा हूँ। ... *(व्यवधान)*

जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, कृषि क्षेत्र की समस्याओं को महसूस करने के बाद, जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने वर्ष 2011-12 के दौरान अपने राज्य में 17,857 करोड़ रुपये का एक पृथक कृषि बजट पेश किया था, जिसमें मुख्य रूप से सहकारी संस्थानों से 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण पर ब्याज की दर 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी थी। ... *(व्यवधान)*

'सुवर्ण भूमि योजना' के अंतर्गत 10 लाख किसान परिवारों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई और 3,900 करोड़ रुपये की राशि सिंचाई पंप सेटों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त बिजली और तालाबों को पुनर्जीवित करने और सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

अब, मैं हमारे राज्य में किसानों की आत्महत्या के मुख्य मुद्दे पर आऊंगा। एन.सी.आर.बी. की वर्ष 2013 के प्रतिवेदन के अनुसार, देश में 11774 किसानों ने आत्महत्याएँ की जिनमें से 1403 कर्नाटक से थीं। पिछले 6 महीनों से यह संख्या पहले ही 250 को पार कर चुकी है, और देश में होने वाली सबसे अधिक आत्महत्याओं में कर्नाटक राज्य दूसरे स्थान पर है। ...*(व्यवधान)*

कर्नाटक सरकार के वक्तव्य के अनुसार, राज्य के लिए वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित 133 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। ...*(व्यवधान)*

कर्नाटक सरकार के योजना, कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए कर्नाटक के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य में कृषि विकास के लिए निम्नलिखित बाधाओं को सूचीबद्ध किया गया है ... *(व्यवधान)*

1. कृषि क्षेत्र में कम वृद्धि दर

2. भूमि का छोटे-छोटे खण्डों में विभाजन

3. सूखी कृषि भूमि

4. धीमा पूंजी निर्माण।

मैं उनकी पीड़ा के कुछ उदाहरण उद्धृत करना चाहूंगा। सबसे पहले, अकेले हमारे राज्य में गन्ना किसानों का ही बकाया लगभग 2500 करोड़ रुपये हैं। पिछले दो वर्षों में इस मुद्दे पर केवल चर्चा हुई है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने 2500 रुपये प्रति टन निर्धारित किया है लेकिन चीनी मिलें केवल 1700 रुपये प्रति टन से भी कम राशि का भुगतान कर रही हैं। गन्ना उत्पादकों के लिए राज्य सरकार ने 31 जुलाई से पहले किसानों का भुगतान अपने खाते से जारी करने का वादा किया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित राशि लगभग 600 करोड़ रुपये रुपये थी ... *(व्यवधान)* इसमें से 350 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी किसानों तक नहीं पहुंचा है। मैं वर्तमान वर्ष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं वर्ष 2013-14 के भुगतानों के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे आप कर्नाटक में किसानों की दयनीय स्तिथि की कल्पना कर सकते हैं... *(व्यवधान)*।

अधिकांश चीनी मिलों ने किसानों को समय पर भुगतान नही किया है, जिससे उन्हें ऊँची ब्याज दर पर बड़े साहूकारों से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। जब किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो हम सभी जानते हैं कि वे ऐसी स्थिति में भगवान को पुकारते हैं और उनको मृत्यु ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता है। ...*(व्यवधान)*

कर्नाटक में हाल ही में सूखे और बाढ़ की घटनाओं के अलावा, आपदा प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार की कोई तैयारी दिखाई नहीं देती है, यह ये भी दर्शाता है कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और किसानों तक राहत उपाय नहीं पहुंचे हैं। फसल बीमा और मौसम आधारित बीमा राहत जारी नहीं की गई है... *(व्यवधान)*

इस तरह की आत्महत्या के प्रति हमारी राज्य सरकार की उदासीनता का एक और उदाहरण यह है कि कुछ मामलों में उन्होंने मृतक किसानों के परिवार को मुआवजे के रूप में 2 लाख या 1 लाख रुपये दिए हैं, और कुछ को मात्र 20,000 रुपये ही मिले हैं ··· *(व्यवधान)*

क्षतिपूर्ति राशि तय करने में कोई समानता नहीं है। इन सबसे ऊपर, जो भूमिहीन किसान दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं, वे मुआवजे के पात्र नहीं हैं और उन्हें अब तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है ...*(व्यवधान)*

तीन महीनों से प्रतिदिन औसतन 2-3 किसान अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। शुरुआत में राज्य की कांग्रेस सरकार ने आत्महत्याओं को यह कहकर अनदेखा कर दिया कि ये छिटपुट घटनाएँ हैं जिनका कृषि क्षेत्र के संकट से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन यह संख्या प्रतिदिन औसतन 8-10 हो जाने के बाद भी वे दावा वैसे ही जारी रखे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता एक कदम आगे बढ़कर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश है। मुझे समझ नहीं आता कि एक गरीब किसान सत्ता के भूखे लोगों के लिए अपनी जान क्यों देगा? … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम किसानों की लगातार हो रही आत्महत्याओं के पीछे के विभिन्न कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। समस्याएँ स्पष्ट रूप से बहुआयामी हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और कृषि संबंधी आयाम से संबंधित समस्याएं हैं। साथ ही, खेती की बढ़ती लागत और कृषि आय में गिरावट से उत्पन्न गंभीर कृषि संकट निश्चित रूप से 90 प्रतिशत आत्महत्याओं का मूल कारण है। ...*(व्यवधान)*

वास्तव में, मैंने कुछ मृतकों के परिवारों से मुलाकात की है और जहाँ भी मैंने दौरा किया है, ऐसी आत्महत्याएँ सूखे या फसल के नुकसान से जुड़ी हुई थीं। इसलिए यह मानते हुए भी कि ये सभी मौतें कृषि संकट के कारण हुई आत्महत्याएँ नहीं हो सकती, फिर भी ये संख्या इतनी भयावह और परेशान करने वाली हैं कि इसे रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

मुझे लगता है कि अवैध साहूकारों पर नकेल कसना सामाजिक रूप से जटिल मुद्दा है। यह जांचने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम किस पर नकेल कसने की योजना बना रहे हैं। क्या वे साहूकार हैं जो आपसी सहमति से हैंड लोन देते हैं? क्या उच्च ब्याज दर वसूलने वाली सूक्ष्म वित्त कंपनियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्रवाई का कर सकती है? यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

किसानों को पर्याप्त ऋण या फसल बीमा, बिजली, उच्च उपज देने वाले जेनेरिक बीज या मशीनरी या पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। 82 प्रतिशत छोटे किसान बीमा के लिए 10 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसान की उधार ली गई पूंजी और परिवार की मेहनत सब बर्बाद हो जाती है। लेकिन सरकार प्राकृतिक आपदाओं के लिए न तो बीमा देती है और न ही मुआवजा देती है। इस कारण से किसानों द्वारा आत्महत्याएँ की जा रही हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजनाओं में संशोधन किया जाए और गाँवों को बाढ़ तथा सूखे से संबंधित क्षेत्रों के लिए धनराशि जारी करने की इकाइयों के रूप में माना जाए। इसे किसान के हित के लिये बनाया जाना चाहिए। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वर्ष 2010-11 में 50 जिलों में परीक्षण के आधार पर लागू किया गया था। किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। भूमि के क्षेत्रफल और फसल के आधार पर किसानों को उर्वरक सब्सिडी दी जानी चाहिए और यह सीधे उनके खाते में भेजनी चाहिए।

श्रमिकों की उपलब्धता अत्यंत कम और अत्यधिक महंगी हो गई है। कृषि कार्यकलाप मौसमी है और इसलिए सभी मशीनरी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जानी चाहिए और कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाना

चाहिए। कर्नाटक में बाढ़ और सूखे ने किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। पिछले छह महीने से 250 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 25,650 हेक्टेयर में उगाई जाने वाली 50 प्रतिशत से अधिक बागवानी फसलें सूखे के कारण बर्बाद हो गई हैं। सूखा प्रभावित किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के वितरण में अत्यंत देरी हुई है और यह किसानों के लिए एक अंतहीन इंतजार बन गया है।

वास्तव में, कर्नाटक सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए कथित रूप से एक भी बैठक नहीं की है। उत्तर कर्नाटक के किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। एक लाख से अधिक किसान नौकरी की तलाश में गोवा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र चले गए हैं। उत्तर कर्नाटक के प्रवासी मजदूर शहरों में निर्माण क्षेत्र के लिए मुख्य श्रम स्रोत बन रहे हैं।

वर्षा के न होने और सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो रही है। बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे आदानों की कीमतों में वृद्धि हुई है और फसलों की कीमतें उत्पादन लागत से भी नीचे चली गई हैं। कृषि उत्पादों की कीमत में गिरावट के कारण कृषक समुदाय वित्तीय तनाव का अनुभव करता है और परिणामस्वरूप ऋण का बोझ बढ़ जाता है।

वर्षा की कमी और बोरवेलों की विफलता के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। राज्य में बिजली की अनुचित आपूर्ति के परिणामस्वरूप किसान खेतों में पानी की आपूर्ति करने में असमर्थ हो गए हैं।

माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं समझता हूँ कि हमारे देश में किसानों की आत्महत्या की दर कम हो रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 में 11,772 किसानों ने आत्महत्या की। राहत की बात यह है कि मोदी जी की सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों के कारण यह संख्या वर्ष 2014 में कम होकर 5,650 हो गई है।

यद्यपि विपक्षी दल यह साबित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि बी.जे.पी. के नेतृत्व वाली रा.ज.ग. सरकार किसानों के विरुद्ध है, हमारी सरकार कई पहलों के माध्यम से हमारे किसानों के लिए खेती को एक लाभदायक उद्यम बनाने के लिए चुपचाप काम कर रही है।

उनमें से एक प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान करने के लिए 50 प्रतिशत फसल के नुकसान का मानदंड रखने का निर्णय महत्वपूर्ण है, जिसे घटाकर अब 33 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अधिक किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों की मदद के लिए मापदंड भी तय किये हैं। अर्थात, मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है।

उद्योग को अपना गन्ना बकाया चुकाने में मदद करने के लिए चीनी उद्योग को 6,000 करोड़ रुपये की सीमा तक आसान ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इस ऋण पर एक वर्ष के लिए रोक लगा दी है और वे इस अवधि के लिए 600 करोड़ रुपये की ब्याज छूट लागत वहन करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को समय पर उनका भुगतान किया जाए, केंद्र ने यह अनिवार्य किया है कि बैंक चीनी मिलों से बैंक खाते के ब्यौरे के साथ किसानों की सूची प्राप्त करेंगे।

नई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हमारे वर्षा पर निर्भर कृषि भूमि के अधिकांश भाग को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई है।

हमारी सरकार पंजाब और पश्चिम बंगाल के बीच कृषि कॉरिडोर स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। कॉरिडोर का उद्देश्य कृषि पर केंद्रित संपूर्ण पर्यावरण प्रणाली का निर्माण करना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा, जिसमें दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि के लगभग चार मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

प्रस्तावित कॉरिडोर में चावल मिल, तेल निकालने की इकाइयां, सब्जियां और फल प्रसंस्करण उद्योग के साथ-साथ बैक-एंड शीत गृह सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। कृषि उपज की जीवनावधि को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक भंडारण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

मैं कृषि मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे पर देश के किसानों के बचाव में आएं और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दें कि वे किसानों को सभी प्रकार के ऋणों और कृषि मशीनरी के लिए तीन प्रतिशत पर ऋण दें क्योंकि लघु, सीमांत और काश्तकार निजी साहूकारों पर निर्भर हैं, जो अधिक ब्याज लेते हैं जिसके कारण देश में किसान पीड़ित हैं।

किसानों के परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज दिया जाना चाहिए। इन खर्चों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए। *... (व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: श्री येदियुरप्पा कृपया अपनी बात समाप्त करें।

... (व्यवधान)

श्री बी.एस. येदियुरप्पा: महोदय, मैं दो मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करूंगा। *... (व्यवधान)*

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि एन.बी.एफ.सी. उच्चतम ब्याज दर वसूल रही है जो प्रति वर्ष 30 से 36 प्रतिशत तक है और प्रति माह तीन प्रतिशत है। मैं जानना चाहूंगा हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और किसानों को बैंकिंग नेटवर्क के भीतर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, कर्नाटक सरकार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि एन.बी.एफ.सी. द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए सरकार की कार्ययोजना में क्या कार्यक्रम और योजनाएं हैं।

हमारे पास वर्ष 2014 के किसानों की आत्महत्या के आंकड़े हैं, जो कि 768 है। आपके वक्तव्य के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2015 के आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार

जानबूझकर उन आंकड़ों को उपलब्ध करने से बच रही है क्योंकि यह अत्यधिक चिंताजनक है। महोदय, पिछले सिर्फ 60 दिनों में आत्महत्याओं की संख्या 200 से अधिक हो गई है।... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोहराता हूं कि पिछले 60 दिनों में आत्महत्या की संख्या 200 से अधिक हो गई है, जिससे हम स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* इसका एक कारण चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया भुगतान न करना है। इस भुगतान के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई बहुत अपर्याप्त है। ये किसानों के प्रति सिर्फ मौखिक सहानुभूति दिखा रही है। ...*(व्यवधान)* कृपया राज्य सरकार को उस उचित, लाभकारी मूल्य को लागू करने की सलाह दें जो स्वयं यू.पी.ए. सरकार द्वारा तय किया जाता है।... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, श्री राहुल गांधी देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि वे कर्नाटक में उन किसानों के घर क्यों नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने आत्महत्या की थी।... *(व्यवधान)*

मैं पूरे देश के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि हालांकि उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु का दौरा किया था, फिर भी आत्महत्या करने वाले किसानों के घरों में जाने का मन नहीं बनाया।...*(व्यवधान)* मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वे एक राज्य के किसानों और दूसरे राज्य के किसानों के बीच अंतर क्यों कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी स्पष्ट करें कि क्या वे इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने जा रहे हैं? क्या वे सार्वजनिक करेंगे कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को क्या सलाह दी है?

कर्नाटक के एक जन प्रतिनिधि के रूप में, मैं श्री राहुल गांधी को कर्नाटक आने और वहां की स्थिति को समझने के लिए आमंत्रित करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय येदियुरप्पा जी कर्नाटक में हो रही आत्महत्याओं के सन्दर्भ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए हैं। *...(व्यवधान)* मैंने अपने पूर्व के भाषण में बताया कि वहाँ अब तक जुलाई तक 195 आत्महत्यायें हो चुकी हैं। *...(व्यवधान)* वर्ष 2012 के दौरान 1875, वर्ष 2013 में 1403 और वर्ष 2014 में 768 आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें 447 किसानों की हैं और 321 मजदूरों ने आत्महत्या की है।...*(व्यवधान)*

राज्य सरकार ने बताया है कि 8 से 16 अप्रैल के बीच 10 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हुई। फिर दोबारा वर्षा अप्रैल महीने में हो गई, अप्रैल अन्तिम सप्ताह में हो गई, इसके कारण काफी फसलों को नुकसान हुआ है। *...(व्यवधान)* राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है, ऐसी जानकारी दी है। *...(व्यवधान)* हमारे राहत आयुक्त भी गए थे। *...(व्यवधान)* इसी सप्ताह वहाँ उन्होंने भ्रमण किया है, अधिकारियों से बात की है। *...(व्यवधान)* भारत सरकार ने कर्नाटक को, जो केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी होती है, इस बार इसमें काफी राशि बढ़ाई है। *...(व्यवधान)* पहले वर्ष 2014-15 में 14 हजार करोड़ रूपया मिला था और इस वर्ष 24 हजार करोड़ रूपया मिला है। मैं समझता हूँ कि यह धनराशि, येदियुरप्पा जी बहुत बड़ी धनराशि है और यह धनराशि कर्नाटक की सरकार को बिजनेस करने के लिए नहीं दी गई है।...*(व्यवधान)* यह धनराशि उन्हें किसानों की सहायता करने के लिए दी गई है।...*(व्यवधान)*

महोदय, इतना ही नहीं, जो एसडीएफ एक फंड होता है, जो अभी तक उनको मिलता था, मैं पूरा आँकड़ा नहीं देना चाहता, लेकिन वर्ष 2014-15 के दौरान उनको 146 करोड़ रूपए मिले थे। *...(व्यवधान)* हमारी सरकार ने वर्ष 2015-16 में उसको 207 करोड़ रूपए एसडीआरएफ के फंड में दिए हैं, जो निश्चित रूप से संकट की घड़ी में किसानों के काम आने वाले हैं। *...(व्यवधान)* हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ-साफ कहा है कि किसानों की जो क्षति होती है, जो पुराने नार्म्स हैं, उसको बदलकर डेढ़ गुनी सहायता की जाए, 33 प्रतिशत नुकसान तक सहायता की जाए। *...(व्यवधान)* जिन फसलों का नुकसान हुआ है, उन्हें भी समर्थन

मूल्य देकर खरीदा जाए। ...*(व्यवधान)* इसीलिए एसडीआरएफ में यह राशि भी बढ़ाई है। ...*(व्यवधान)* हमारी सरकार जब आई तो हमने 226 करोड़ रूपए सूखे के लिए एनडीआरएफ फंड से भी दिया है। ...*(व्यवधान)* एसडीआरएफ फंड में राशि बढ़ाने के बावजूद वर्ष 2013-14 में हमने 226 करोड़ रूपए, 2014-15 में 200 करोड़ रूपए और इस बार संकट जिसकी येदुरप्पा जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 151 करोड़ की डिमांड की थी, तो हमने एसडीआरएफ में भी पैसा बढ़ाया और एनडीआरएफ से 105 करोड़ की राशि की माननीय गृहमंत्री जी ने अभी पांच दिन पहले ही मंजूरी दी है।...*(व्यवधान)* इतना ही नहीं जो कृषि मजदूर हैं...*(व्यवधान)* आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अपने बजट में कहा है,...*(व्यवधान)* नयी सरकार ने अपने बजट में कहा है कि देश में जो लैंड लेस किसान हैं...*(व्यवधान)* अभी बड़ी संख्या में जो कर्नाटक में मरे हैं। ...*(व्यवधान)* हमारी सरकार ने 5 लाख समूह बनाने के लिए तय किया था।...*(व्यवधान)* मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है ...*(व्यवधान)* सिर्फ वर्ष 2014-15 में 5 लाख के बदले 11 लाख समूह बनाये गये हैं। ...*(व्यवधान)* जिनमें 5 से 10 किसान हैं। ...*(व्यवधान)* 11 लाख समूहों के बीच 11036 करोड़ रुपये भी वितरित किये गये हैं।...*(व्यवधान)* माननीय येदियुरप्पा जी ने बिजली के संकट का सवाल उठाया है। ...*(व्यवधान)* निश्चित रूप से कर्नाटक, बिहार ऐसे राज्य हैं, जहां आज गांवों में बिजली नहीं है।...*(व्यवधान)* वहां खेती के लिए बिजली नहीं है।...*(व्यवधान)* हमारे प्रधानमंत्री जी ने 'प्रधानमंत्री ग्राम ज्योति योजना' चलायी है।...*(व्यवधान)* हर गांव में बिजली पहुंचे।...*(व्यवधान)* किसानों के लिए अलग फीडर हो।...*(व्यवधान)* इसके लिए 63,000 करोड़ रुपये की धन राशि दी गयी है। ...*(व्यवधान)* इसमें कर्नाटक पीछे है।...*(व्यवधान)* मैं उम्मीद करता हूं कि कर्नाटक सरकार इसका इस्तेमाल करेगी।...*(व्यवधान)*

महोदय, जहां तक फसल बीमा का सवाल है...*(व्यवधान)* राज्य सरकार टेंडर करती है।...*(व्यवधान)* हमने राज्य सरकार को पूरी प्रीमियम की राशि दी है।...*(व्यवधान)* एक पैसा भी बकाया नहीं है।...*(व्यवधान)* हम नयी फसल बीमा योजना भी लाने वाले है।...*(व्यवधान)* यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी खेत को पानी नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)* 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' प्रारंभ हुयी

है।...*(व्यवधान)* किसानों को स्वॉइल हेल्थ कार्ड देने के लिए राज्यों को पैसे भेजे गए हैं।...*(व्यवधान)* 'परंपरागत कृषि योजना' जैविक खेती के लिए शुरू की गयी है। ...*(व्यवधान)* किसानों को फसल का अच्छा मूल्य मिले...*(व्यवधान)* इसके लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना की दिशा में सरकार काम कर रही है।...*(व्यवधान)* मैं येदियुरप्पा जी को और कर्नाटक के किसान भाइयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं...*(व्यवधान)* लेकिन 67 वर्षों की जो नीतियां हैं...*(व्यवधान)* उनके परिणाम हमको भोगने पड़ रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो नीतियां बनायी हैं...*(व्यवधान)* निश्चित रूप से उनके परिणाम प्रकट होंगे। ...*(व्यवधान)* आज मोदी सरकार कर्नाटक के किसानों के साथ बिल्कुल खड़ी है और किसी भी घड़ी में हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2880क/16/15]

अपराह्न 2.28 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार के मधुबनी जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : महोदय, बिहार राज्य के मधुबनी जिले की आबादी लगभग 50 लाख के आस-पास है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद यहां पर एक भी केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है। साथ ही नेपाल-भारत का सीमावर्ती जिला होने के नाते यहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस जिले के आस-पास सीतामढ़ी, सुपौल निकटवर्ती जिले होने के कारण यहां पर एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। जिससे इन दोनों जिलों के छात्र-छात्राओं को बाहर न जाना पड़े।

(दो) देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक दोषरहित प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, अभी हाल ही में पूरे देश में रेडी टू ईट फूड, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, बोतल बंद पानी में खतरनाक पदार्थों की मानव स्तर से अधिक मात्रा के मुद्दे बड़े जोर-शोर से उठ रहे हैं। कई उत्पादों पर रोक भी लगाई गई है। कई उत्पादों की जांच सक्षम एजेंसियों द्वारा कराई गई परन्तु आज भी बड़ा प्रश्न यही है कि जो खाद्य पदार्थ इन जांचों की प्रक्रिया से बचे हुए हैं, उन्हें खाने से हमारी सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा क्या है?

जंक फूड स्वास्थ्य के लिए और विशेषकर बच्चों के लिए हानिकारक है, ऐसा सभी समझते हैं परन्तु फास्ट फूड के अलावा बाजार में बिस्कुट, जूस, नमकीन जैसे अनगिनत खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाते समय आज देश का नागरिक अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है।

आज देश सरकार से जानना चाहता है कि किस प्रकार देश के नागरिकों की खाद्य पदार्थों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? कई राज्यों में इन पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं तक नहीं हैं और जहां हैं, वे भी असक्षम हैं तथा आधिकतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती हैं। सभी खाद्य पदार्थों की जांच को देश में एक ही एजेंसी के भरोसे छोड़े जाने पर भी प्रश्न उठता है क्योंकि इनके द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब खाद्य पदार्थों के लिए ही नहीं अपितु रबड़, पैट्रोलियम, रसायनिक आदि के लिए कार्य करती हैं तथा इनकी संख्या भी देशभर में नाम मात्र की है। इतनी कम लैबो पर देश भर की जांचों का दबाव होने के कारण गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर भी संदेह किया जा सकता है। यह भी देखने में आया है कि एक ही पदार्थ की अलग-अलग जांच रिपोर्ट अलग-अलग बातें कहती है जो पूर्णतया विरोधाभासी है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश में मांस की जांच करने के लिए एक भी लैब नहीं है। अब वक्त आ गया है कि देश में एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए ताकि कोई भी खाद्य पदार्थ शत-प्रतिशत शुद्ध होने पर ही बाजार में बिकने के लिए आए और अगर फिर भी भविष्य में उसमें कुछ अस्वास्थ्यजनक पदार्थ पाए जाएं तो न केवल कम्पनी पर भारी जुर्माना हो बल्कि आपराधिक केस भी दर्ज किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत - उपस्थित नहीं।

(तीन) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): महोदय, मैं सदन के सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। यह विषय मेरे संसदीय क्षेत्र जिला टोंक सवाई माधोपुर के साथ-साथ पूरे राजस्थान प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस विषय में मैंने दिनांक 23.07.2015 को तारांकित प्रश्न संख्या नं0 555 के माध्यम से भी इस विषय में वर्तमान स्थिति जाननी चाही जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-11 का विस्तार दौसा-लालसोट-कॉथून मार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-4 का हिस्सा है और विस्तृत परियोजना स्तर डी.पी.आर. पर है।

इसी प्रकार पूरे राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 10 नेशनल हाईवे जिनकी लम्बाई 1335 किलोमीटर है जो विकास हेतु सौंपे गए थे जिनमें कुल 11 परियोजनाएं प्रस्तावित हुईं। 11 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और 2 परियोजनाओं में अनुबंध हस्ताक्षरित हो गए हैं जिनके कार्य प्रारंभ होने हैं। एक परियोजना में एल.ओ.ए. जारी हो चुका है, एक परियोजना में आर.एफ.पी. आमंत्रित हो चुकी है, शेष 5 परियोजनाएं डी.पी.आर. प्रक्रिया में हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 टोंक-सवाई माधोपुर जिसकी लम्बाई 78 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 सलासर-नागौर जिसकी लम्बाई 125 किलोमीटर है, के विषय में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अवार्ड की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और अधूरी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिससे राजस्थान के साथ-साथ अन्य प्रदेश के लोगों को इसका फायदा मिलता रहे।

(चार) उत्तर प्रदेश में कालपी के ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर में कालपी नगर है जिसे महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के रूप में मशहूर यमुना के किनारे बसा यह नगर खगोल विज्ञान की दृष्टि से भी काफी महत्तवपूर्ण है। कोणार्क के बाद कालपी में विश्व का दूसरा सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड है जो पृथ्वी का मध्य माना जाता है। सूर्य ग्रहण पड़ने पर कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक यहां पर शोध करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही यहां चौरासी गुंबद, लंका मीनार, पचपंडा देवी, काली मंदिर, वनखंडे देवी जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र हैं। ऐतिहासिक आभिलेखों के आधार पर यहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था तथा यहीं पर भीष्म पितामह ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। इसी तहसील के अंतर्गत परासन गांव में वेद व्यास के पिता ऋषि पाराशर का भी आश्रम है जिसके प्रांगण में बने अद्भुत तालाब में पितृ पक्ष के माह में रग-बिरंगी मछलियों के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु आते हैं। उल्लेखनीय है कि यहां मछलियां केवल पितृ पक्ष के माह में ही दिखाई देती हैं।

स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के कालपी ने बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व किया है। यहां महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया था। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। व्यापारिक दृष्टि से कालपी का हस्तनिर्मित कागज भी विश्व में प्रसिद्ध है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कालपी तहसील के इस गौरवपूर्ण अतीत को देखते हुए इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

(पांच) विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के प्रार्थियों के लिए पी.एच.डी./यू.जी.सी. नेट को आवश्यक अर्हता बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देशभर के विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए पी.एच.डी. की डिग्री अथवा नेट/जे.आर.एफ. अर्हता थी *...(व्यवधान)* परन्तु विगत दिनों समाचार पत्रों में ऐसे समाचार आए हैं कि विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में आसिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए केवल नेट/जे.आर.एफ ही अर्हता होगी *...(व्यवधान)* इस तरह के समाचार पी.एच.डी की डिग्री धारकों के लिए हताशा की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं *...(व्यवधान)* यदि ऐसा होता है तो शोध की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि यदि केवल नेट/जे.आर.एफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे *...(व्यवधान)* तब पी.एच.डी की डिग्री केवल उनकी पदोन्नति में सहायक होगी और केवल पदोन्नति के लिए ही पी.एच.डी कर उपाधि प्राप्त करने की चेष्टा हो सकती है *...(व्यवधान)* इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध की उपयोगिता और गुणवत्ता प्रभावित होगी *...(व्यवधान)* अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्व की भांति विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में आसिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए पी.एच.डी की डिग्री अथवा नेट/जे.आर.एफ अर्हता ही रखी जाए ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध की महत्ता और उपयोगिता बनी रहे तथा असमंजस की स्थिति समाप्त हो *...(व्यवधान)* आपने अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(छह) वन्य जीवों की आवाजाही को रोकने के लिए भरतपुर जिले की डीग तहसील में स्थित आरक्षित वन क्षेत्र के चारों ओर एक दीवार बनाए जाने की आवश्यकता

श्री बहादुर सिंह कोली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर (राजस्थान) के तहसील डीग में माढेरा की रूंध के नाम से करीब 10 किलोमीटर के फैलाव में घना जंगल क्षेत्र है *...(व्यवधान)* जिसके चारों तरफ करीब 30 गांव बसे हुए है *...(व्यवधान)* माढेरा की रूंध में बहुत बड़ी मात्रा में नीलगाय व हिरण आदि जंगली जानवर रहते हैं जो किसानों की फसलों को खा जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं *...(व्यवधान)* इस क्षेत्र के किसानों के पास खेती के अलावा जीवन-यापन करने का और कोई माध्यम नहीं है। सर्दी के मौसम में रातभर किसान अपनी फसल की चौकसी करता रहता है *...(व्यवधान*) कई बार अधिक सर्दी होने के कारण कई किसान अपनी खेती की रखवाली करते समय जान गवां चुके हैं *...(व्यवधान)* यह क्षेत्र भतरपुर से डीग रोड से लगा हुआ है जिस पर वाहनों का आवागमन भी बहुत लगा रहता है। रात्रि के समय कई बार अचानक जंगली जानवरों के सड़क पर आने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं *...(व्यवधान)* अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि माढेरा की वन आरक्षित क्षेत्र की चारदीवारी निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि स्वीकृत कराए जाने की कृपा करें *...(व्यवधान)* ताकि इस क्षेत्र के किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सके।

(सात) राजस्थान में धौलपुर-सारामथुरा-करौली-गंगापुर रेल लाइन परियोजना लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र "धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर" स्वीकृत रेल परियोजना की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं...*(व्यवधान)* इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटन हुआ था ...*(व्यवधान)* अधिकारियों की कार्य शिथिलता के कारण इस बजट का उपयोग नही हो पाया और 19.60 करोड़ का बजट लैप्स हो गया था ...*(व्यवधान)* बजट लैप्स होने के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 में परियोजना के लिए 10 करोड़ का ही बजट आवंटित हो पाया था ...*(व्यवधान)* वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार द्वारा 35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है। आधिकारयों की शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही के कारण इस बजट का भी समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है ...*(व्यवधान)* अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि लापरवाह आधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं परियोजना के कार्यों में प्रगति लाने हेतु निर्देशित कराए जाने की कृपा करें।

(आठ) देश में आदिवासी महिलाओं को शैक्षणिक तथा रोजगार संबंधी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी महिलाएं बहुत ही कम संख्या में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण कर पाती हैं। *...(व्यवधान)* अधिकतर प्राथमिक शाला के पश्चात उनका विद्यालय छूट जाता है। *...(व्यवधान)* इस कारण से उन्हें रोजगार के उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। *...(व्यवधान)* इसके कारण आज भी आदिवासी महिलाओं का औसत साक्षरता प्रतिशत अत्यधिक कम है। *...(व्यवधान)*

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार के अनुरोध है कि आदिवासी महिलाओं की शिक्षा तथा उचित रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं। *...(व्यवधान)*

(नौ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता के प्रार्थी सभी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महदोय, 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' से चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता देश में गरीब परिवार के रोगियों के उपचार हेतु एक वरदान है *...(व्यवधान)* जो संसद सदस्यों की अनुशंसा पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। *...(व्यवधान)* लेकिन मुझे इस विषय पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। *...(व्यवधान)*

मेरा चुनाव क्षेत्र काफी पिछड़ा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। *...(व्यवधान)* गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों का इलाज आर्थिक सहायता के अभाव में संभव नहीं हो पाता है तथा इससे कई मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है। *...(व्यवधान)*

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जितने भी निवेदन मेरे द्वारा आर्थिक सहायता हेतु संस्तुति कर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाते हैं, उनके उपचार का पूरा खर्च 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' से शीघ्र देने का प्रावधान किया जाए *...(व्यवधान)* ताकि गरीब, असहाय मरीजों को इलाज के अभाव में मरने से बचाया जा सके। *...(व्यवधान)*

(दस) लम्बित पड़े विकास कार्यो को पूरा करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से राज्यों को पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए एक योजना 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि' बनाई गयी थी *...(व्यवधान*) जिसमें विकास कार्यों के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाता था।*...(व्यवधान)* जिससे उन पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कई विकास कार्य कराए जाते थे। *...(व्यवधान)* जिसके लिए किसी प्रकार का धन उपलब्ध नहीं हो पाता था। *...(व्यवधान)* इस योजना का लाभ मेरे संसदीय क्षेत्र, जो पिछड़ा है, को भी मिल रहा है। *...(व्यवधान)*

पिछले वित्तीय वर्ष से यह अनुदान निधि पिछड़े क्षेत्र को नहीं मिल रही है *...(व्यवधान)* जिससे उन क्षेत्रों में कई उपयोगी योजनाएं धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं हो पा रही हैं। *...(व्यवधान)* विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस योजना को यथावत् रखने के लिए सरकार से आग्रह किया है। *...(व्यवधान)*

अतः सदन के माध्यम से मेरा पंचायती राज मंत्री जी से अनुरोध है कि जनहित में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को यथावत् रखा जाए और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने के लिए वांछित धनराशि शीघ्र अवमुक्त कर दी जाये। *...(व्यवधान)*

(ग्यारह) बिहार के सिवान में एम्स की तरह का संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में खासकर मेरे संसंदीय क्षेत्र सिवान (बिहार) में कैंसर, हृदय एवं न्यूरो रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। *...(व्यवधान)* बिहार में जो अस्पताल हैं, उन रोगियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। *...(व्यवधान)* सरकार ने पटना में 'एम्स' खोलने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। *...(व्यवधान)* यह स्वागत योग्य कदम है। *...(व्यवधान)* केन्द्र सरकार ने बिहार में 2015-16 के बजट में एक और 'एम्स' खोलने का प्रस्ताव दिया है। अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार के अनुरोध है कि यह अस्पताल सिवान में खुले *...(व्यवधान)* क्योंकि सिवान में 'एम्स' के खुलने से पूरे उत्तर बिहार के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, बलिया एवं पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लोगों को भी इलाज हेतु दिल्ली, पटना नहीं जाना पड़ेगा।

(बारह) झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के गांवों में अमानत और सोन नदियों के द्वारा भूमि कटाव रोकने के लिए शीघ्र उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य के पालमू-गढ़वा क्षेत्र में विभिन्न नदियों के किनारे स्थित भूमि में कटाव से उत्पन्न समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र की प्रमुख 'अमानत' एवं 'सोन नदी' के दोनों ओर भूमि में निरंतर कटाव हो रहा है जिसके कारण निकटवर्ती गांवों की खेती योग्य सिंचित भूमि में बालू एकत्र होने से बंजर भूमि में परिणित हो रही है। अब तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि मकान भी कटने लगे हैं। यदि भूमि कटाव पर शीघ्र नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यह समस्या नियंत्रण के बाहर हो जाएगी तथा योग्य सिंचित भूमि के आतिरिक्त कच्चे मकान तक कट जाएंगे और वहां के रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़ सकता है।...*(व्यवधान)*

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह झारखंड सरकार से सम्पर्क कर इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा एक केन्द्रीय टीम गठित कर शीघ्र पलामू एवं गढ़वा जिला के कटाव ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए भेजी जाए तथा उससे प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री विद्युत बरन महतो

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री राज कुमार सैनी

... (व्यवधान)

(तेरह) केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजकुमार सैनी (कुरूक्षेत्र) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मैं आपके सामने इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालयों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण की मांग करता हूं। केन्द्रीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की एक रूप शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में करना है। हमारे देश में सैनिक छावनियों या सार्वजनिक उद्यम संस्थान कितने ही दूरदराज क्षेत्रों में हों, वहां केन्द्रीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जा रही है। परन्तु केन्द्रीय विद्यालयों में व अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों एवं औद्योगिक संस्थानों की अपेक्षा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह सभी जानते हैं कि केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु अत्यधिक प्रतिस्पर्धा रहती है जिसमें पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राएं पिछड़ जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार सभी सरकारी विश्वविद्यालयों व औद्योगिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलता है उसी के अनुरूप केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्ग के छात्रों को आरक्षण का प्रावधान किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री रामदास सी. तडस

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एम.आई. शनवास

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी. नागराजन

... (व्यवधान)

(चौदह) तमिलनाडु में अतिकावेडु-अविनाशी फ्लड कैनाल स्कीम के लिए अतिरिक्त निधियां स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. नागराजन (कोयम्बटूर): हमारे देश में भूजल क्षमता को बढ़ाने के लिए कई बाढ़ नहर योजनाएँ शुरू की गई हैं। तमिलनाडु ने 1862 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 'अतिकावेडु-अविनाशी बाढ़ नहर योजना' विकसित की है। वर्तमान में, यह स्वीकृति के लिए सक्रिय रूप से विचारधीन है। इसलिए, इस समय, कोयंबटूर के पास भवानी और नोय्याल नदियों के बीच शुष्क भूमि क्षेत्र को भी सूखी कौशिका नदी से जोड़कर लाभ क्षेत्र में शामिल किया जाए। दो हज़ार वर्ष पुरानी कौशिका नदी सूख गई है और भूजल स्तर 1500 फीट से नीचे चला गया है। *...(व्यवधान)* चूंकि सड़क और पुल जैसे बुनियादी ढांचे पहले से ही उपलब्ध हैं, इसलिए कौशिका नदी-अतिकावेडु को अतिकावेडु-अविनाशी बाढ़ नहर योजना के एक घटक के रूप में भी लिया जा सकता है। इस परियोजना में किसी भी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी और इससे लगभग 10 लाख लोगों को लाभ होगा और 35 किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। *...(व्यवधान)* यह कई गांवों को यानी अग्रहारा समक्कुलम कोविलपलायम के माध्यम से वनजिपालयम तक पेयजल स्रोत भी प्रदान करेगा। इसलिए, मैं केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता को मंजूरी देकर इस योजना को स्वीकृति देने का आग्रह करता हूं।

... (व्यवधान)

(पंद्रह) तमिलनाडु के मदुरै और बीदीनायक्कनूर के बीच आमान-परिवर्तन के कार्य को शुरू करने तथा डिंडीगुल और सबरीमाला के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

*__श्री आर. पार्थिपन (थेनी):__ मेरे थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मदुरै और बोदीनायक्कनूर के बीच रेलवे लाइन एकमात्र रेल संपर्क है। ब्रॉड-गेज परिवर्तन से संबंधित कार्य शुरू करने के लिए, वर्ष 2010 में इस मार्ग पर रेल परिवहन को रोक दिया गया था और वर्ष 2011 में बाद में धन आवंटित किया गया था। ब्रॉड-गेज कन्वर्जन से संबंधित कार्य तब से शुरू नहीं हुआ है। बेहतर परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण लोग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बहुत प्रभावित हैं। डिंडीगुल-सबरीमाला (केरल) के बीच एक नए रेलमार्ग की घोषणा किए जाने के बावजूद कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के लाखों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमाला की यात्रा हेतु बस का उपयोग परिवहन के साधन के रूप में कर रहे हैं। भगवान अयप्पा के भक्तों को हो रही कठिनाइयों के मद्देनजर रेल प्राधिकारियों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए एवं इस कार्य को तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए। हालाँकि डिंडीगुल-कुमौली में चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए शहरी क्षेत्रों में काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बाईपास सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इतनी सारी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। अतः मैं डिंडीगुल-कुमौली चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्य में तेजी जाने का अनुरोध करता हूं। दो सड़कों का निर्माण कार्य अर्थात् (1) वह सड़क जो विरुधुनगर और थेनी जिलों को कामराजपुरम-किझावन कोइल रोड, मनुथु 9 माइल रोड के माध्यम से सबसे छोटे मार्ग से जोड़ती है और (2) थेवारम-सक्कलूथू मेटू सड़क के कार्य को अभी चीफ रेंजर ऑफ फारेस्ट से अनुमति नहीं मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

---

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

03.08.2015

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुल्तान अहमद - उपस्थित नहीं

… (व्यवधान)

(सोलह) भारतीय जूट निगम में श्रम शक्ति की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[*]**प्रो. सौगत राय (दमदम):** महोदय, मैंने नियम 377 के तहत भारतीय जूट निगम के मामले पर अपना नोटिस दिया था। लेकिन सभा व्यवस्था में नहीं है। तो, मैं अपने मामले को नहीं पढ़ूंगा। मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रख रहा हूँ।

भारतीय जूट निगम 70 के दशक की शुरुआत में जूट किसानों की सहायता के लिये स्थापित किया गया था। वस्त्र मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2014-15 से जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (जे.सी.आई.), एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को पर्याप्त सब्सिडी दे रहा है। पिछले मौसम में, जे.सी.आई ने 28000 लाख मीट्रिक टन कच्चा जूट खरीदा और 2.5 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। लेकिन ऐसा लगता है कि यह निगम श्रम शक्ति की कमी के कारण एक धीमी मौत मर रहा है। वर्तमान में, 400 कर्मचारी हैं, लेकिन उनमें से 128 सेवा निवृत्त हो जाएंगे और इसलिए, 56 डी.पी.सी. (प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों) के प्रबंधन के लिए कोई कर्मचारी नहीं होगा। निगम मूल्य समर्थन संचालन के अलावा वाणिज्यिक प्रचालन के माध्यम से दो से तीन लाख मीट्रिक टन कच्चा जूट आसानी से खरीद सकता है, केवल तभी जब उसके पास श्रम शक्ति हो। वर्तमान प्रबंधन ने इस मामले में कोई पहल नहीं की है। श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, या तो सरकार को सेवानिवृत्ति की आयु को वर्तमान 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना होगा, या मौजूदा अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना होगा या अन्यथा नए लोगों को रोजगार देना होगा।

इस वर्ष कई पटसन मिलें बंद होने का एक कारण कच्चे पटसन की अनुपलब्धता और उच्च कीमतें हैं। जे.सी.आई. के पास पर्याप्त भंडारण होने के बावजूद, यह मांग को पूरा नहीं कर सका। अब जब कपड़ा मंत्रालय

[*]सभा पटल पर रखा गया

ने बी ट्विल सेविंग के लिए 2.4 लाख गट्ठर रखने का निर्णय किया है, तो यह निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि इस समय यह जे.सी.आई. को मजबूत करने में मददगार होगा।

(सत्रह) ओडिशा के बुर्ला में वीर सुरेन्द्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भारतीय अभियांत्रिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान (संबलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में ओडिशा राज्य के पहले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में की गई थी। इस संस्था को वर्ष 2009 में एकल विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। शैक्षणिक सत्र 2014-15 के अनुसार, यह 11 यू.जी., 18 एम. टेक, 3 एम.एस.सी. पाठ्यक्रम, 2 एकीकृत एम.एस.सी., 3 एम. फिल ओर 1 एम.सी.ए. और 12 पी.एच.डी. कार्यक्रम प्रस्तावित कर रहा है।

वर्ष 2004 में ओडिशा सरकार ने वीर सुरेन्द्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को आई.आई.टी का दर्जा प्रदान किए जाने की अनुशंसा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से की थी। नौ अन्य संस्थानों के बीच, इस संस्थान को आई.आई.टी. का दर्जा प्रदान करने के लिए चुना गया। तथापि भारत सरकार ने आठ संस्थानों का चयन किया और वीर सुरेन्द्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बुर्ला, ओडिशा को शामिल नहीं किया।

वर्ष 2007 में आनन्द कृष्णन समिति ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नालॉजी (आई.आई.ई.एस.टी.) की प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा की थी और वर्ष 2014 में संसद से एक विधेयक पारित होने के बाद वर्ष 2014 में पांच संस्थानों का चयन किया गया था।

हालांकि, वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुर्ला, ओडिशा को सूची में शामिल नहीं किया गया, भले ही मानक के अनुसार यह सूची के शीर्ष पर होना चाहिए था। ओडिशा सरकार ने 2015 में फिर से इसे आई.आई.ई.एस.टी. के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को बिना किसी विलम्ब के वीर सुरेन्द्र सययूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी, बुर्ला, ओडिशा को आई.आई.ई.एस.टी. घोषित करने पर विचार करना चाहिए।

<u>अपराह्न 2.54 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

… (व्यवधान)

(अठारह) मुम्बई विमानपत्तन के कार्यों डिवीजन में कार्य कर रही कुरियर सेवाओं में सुधार लाए जाने की आवश्यकता

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): महोदया, मैं आपकी अनुमति से मुंबई विमान पत्तन के कार्गो डिवीजन में कार्य कर रही कुरियर सेवाओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। हवाई पार्सलों और अन्य ऐसी वस्तुओं की डिलीवरी में लगी कुरियर कंपनियों के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।... *(व्यवधान)* शिकायतें पार्सलों की डिलीवरी में अत्यधिक विलम्ब तक ही सीमित नहीं हैं अपितु ज्यादा शुल्क लेने, पार्सलों की चोरी और गुम होने, शुल्क की चोरी आदि से भी संबंधित है। विमान पत्तन और अन्य अधिकारियों के पास दर्ज कराई गई ऐसी कई शिकायतों के परिणामस्वरूप कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। *...(व्यवधान)* ऐसा प्रतीत होता है कि हवाई पार्सल की समय पर और शिकायत मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए हैं। देरी के कारण न केवल हवाई यात्रियों को बल्कि सरकार को भी वित्तीय नुकसान होता है। *...(व्यवधान)* इसलिए, मौजूदा कुरियर कंपनियों द्वारा इस तरह के एकाधिकार कार्यकलापों का निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है, मुंबई विमान पत्तन पर अतिरिक्त कुरियर सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कृपया, यह तरीका नहीं है। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

श्री गजानन कीर्तिकर: चूंकि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है, अत: इन कुरियर कंपनियों के क्रियाकलापों की तुरंत जांच करने की आवश्यकता है... *(व्यवधान)* मैं सरकार से मुंबई विमान पत्तन पर शीघ्र और शिकायत मुक्त सेवा के लिए कुरियर सेवाओं को बढ़ाने का भी आग्रह करूंगा।

(उन्नीस) एकीकृत राष्ट्रीय कौशल तथा उद्यमशीलता नीति के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): महोदया, सरकार हाई स्कूल पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ्यक्रम जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर करियर विकल्प उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। *...(व्यवधान)* रोजगार सृजन, सरकार का महत्वपूर्ण क्षेत्र और एक दीर्घकालिक योजना है। भारत में वस्त्र, हस्तशिल्प और कलाकृति जिनकी विदेशों में काफी मांग है, जैसे क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों के लिए काफी संभावना है ।... *(व्यवधान)* मेरा विचार है कि विद्यार्थियों को कम उम्र में इस तरह के कौशलों का प्रशिक्षण देकर भारत उनकी क्षमता का उपयोग कर सकता है और बेरोजगारी की समस्या को भी कम किया जा सकता है। कौशल विकास के मानदंडों को एकीकृत राष्ट्रीय कौशल और उद्यमिता नीति के माध्यम से लागू किया जा रहा है। *...(व्यवधान)* राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है। एक सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को कौशल विकास और उद्यमिता, 2015 के लिए राष्ट्रीय नीति द्वारा अभिस्वीकृत किया गया था। *...(व्यवधान)* आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आंध्र प्रदेश को इस योजना के तहत पूरी वित्तीय सहायता दी जाए ताकि छात्रों को लाभ मिले।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. बूरा नरसैय्या गौड - उपस्थित नहीं।

श्री एम.बी. राजेश -- उपस्थित नहीं।

03.08.2015

(बीस) तेलंगाना के खम्माम के जनजातीय लोगों को उच्च तथा तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्माम): महोदया, मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से तेलंगाना के खम्माम जिले, मुख्य रूप से एक आदिवासी क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उच्च और तकनीकी शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। *...(व्यवधान)* वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में एस.टी. की कुल जनसंख्या 7.43 लाख है जो जिले की आबादी का 27.24 प्रतिशत है और राज्य की आबादी का 13.49 प्रतिशत है। *...(व्यवधान)* महोदया, 41 जनजातीय *मंडलों* में से 24 खम्माम जिले में हैं। अधिकांश विद्यार्थी गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई कॉलेज में आगे जारी नहीं रख पाते।... *(व्यवधान)*

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे तेलंगाना के खम्माम जिले में विशेष रूप से केवल जनजातीय विद्यार्थियों के लिए या उनके लिए अधिकांश सीटों के साथ गिरिजन विश्वविद्यालय की स्थापना करे।

अपराह्न 3.00 बजे

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं। पहले तो ये पोस्टर्स हटाएँ। मुझे खेद है। नहीं, यह नहीं होगा।

... (व्यवधान)

(इक्कीस) एक लाख रुपए से अधिक के आभूषणों को खरीदने के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) को अनिवार्य किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार के 2015-16 के आम बजट से 01 अप्रैल, 2015 से अगर कोई ग्राहक एक लाख के ऊपर सोना-चांदी खरीदता है, तो उसके लिए पैन कार्ड आनिवार्य कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार के इस निर्णय की वजह से देश के नागरिकों और जौहरी/ज्वैलर्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि देश के सभी नागरिकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता है। भारत खेती प्रधान देश है। यहाँ पर 67 प्रतिशत लोग किसान हैं क्योंकि कृषि उत्पादों पर इनकम टैक्स नहीं लगता। इस वजह से इनमें से ज्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता। ...*(व्यवधान)*

एन.आर.आई. लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता। इसलिए वह यहाँ आभूषण नहीं खरीद पाएंगे। हमारे देश की महिलाएं बचत के लिए आभूषणों की खरीद करती हैं। इनके पास भी पैन कार्ड नहीं होगा। कोई ग्राहक अगर एक लाख के ऊपर आभूषण खरीदेगा और उसके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो दुकानदार उसे अपना माल नहीं बेच पाएगा। परिणामस्वरूप बिजनेस धराशायी हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* शिल्प निर्माता, थोक व्यापारी, ज्वैलर्स, श्रमिक एवं शिल्पकार सभी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। इस जोखिम भरे निर्णय के कारण इस व्यवसाय में नकद बिक्री बढ़ने की संभावना है। नकद बिक्री बढ़ेगी तो सरकार को वैट और आयकर पर भी इसका असर हो सकता है। ...*(व्यवधान)* इस निर्णय के

कारण बिक्री कम हो जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने "मेक इन इंडिया" का जो नारा दिया है, उस पर इसका असर हो सकता है, भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और अन्ततोगत्वा इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

एक सर्वे के अनुसार भारत में सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों के पास पैन कार्ड हैं। इसका मतलब यह होगा कि 85 प्रतिशत लोगों को आभूषण खरीदने का हम हक नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आम आदमी के घर में बचत के लिए सैकड़ों वर्षों से आभूषण और गहनें खरीदे जाते हैं और खरीदा हुआ आभूषण कई साल तक बचत के तौर पर रखा जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय को वापस लिया जाए और इस व्यवसाय को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। ...(व्यवधान)

03.08.2015

<u>अपराह्न 3.05 बजे</u>

नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलम्बन

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री बी.एन. चन्द्रप्पा, श्री संतोख सिंह चौधरी, श्री ए.एच. खान चौधरी, कुमारी सुष्मिता देव, श्री आर. ध्रुवनारायण, श्री निनोंग इरिंग, श्री गौरव गोगाई, श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ. थोकचोम मेन्या, श्री एस.पी. मुदाहनुमे गौड़ा, श्री अभिजित मुखर्जी, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री के.एच. मुनियप्पा, श्री बी.वी. नाईक, श्री विनसेंट एच. पाला, श्री एम.के. राघवन, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री सी.एल. रुआला, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री राजीव सातव, श्री रवनीत सिंह, श्री डी.के. सुरेश, श्री के.सी. वेणुगोपाल मैं आप सभी का नाम ले रही हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी का नाम ले रही हूं। कृपया अपने सभी पोस्टर बाहर रखें, और अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसके अलावा, मैं उनके नेताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि मैं उन सभी का नाम ले रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राम किशोर सिंह। क्या वे सदन में उपस्थित हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह बिल्कुल गलत है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लीडर्स को, मैंने आप सभी को मीटिंग में बुलाया था और कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम पोस्टर्स और वेल में आना, दोनों बातें हम कम कर ही सकते हैं सदन के लिए। विरोध के अनेक रास्ते हैं। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: पुन:, मैं नाम ले रही हूं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लीडर्स प्लीज ध्यान दें, मुझे स्ट्रिंजेंट एक्शन के लिए मजबूर न करें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जब आप सभा पटल के निकट खड़े हों तो आप कुछ नहीं कह सकते। यह कोई तरीका नहीं है।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं कब से देख रही हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पुन:, मैं नाम ले रही हूं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप खलल डाल रहे हो।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री बी.एन. चन्द्रप्पा, श्री संतोख सिंह चौधरी, श्री ए.एच. खान चौधरी, कुमारी सुष्मिता देव, श्री आर. ध्रुवनारायण, श्री निनोंग इरिंग, श्री गौरव गोगाई, श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ. थोकचोम मेन्या, श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा, श्री अभिजित मुखर्जी, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री के.एच. मुनियप्पा, श्री बी.वी. नाईक, श्री विनसेंट एच. पाला, श्री एम.के. राघवन, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री सी.एल. रुआला, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री राजीव सातव, श्री रवनीत सिंह, श्री डी.के. सुरेश, श्री के.सी. वेणुगोपाल मैं आप सभी का नाम ले रही हूँ। मैं आपका नाम ले रही हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अन्यथा, मुझे कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं चेतावनी भी दे रही हूं और आपके लीडर्स को भी कह रही हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया यह सुनिश्चित करें कि वे अपनी सीटों पर जाएँ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं उनसे बार-बार अनुरोध कर रही हूं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, देखिए*...(व्यवधान)* हम नौ दिनों से न्याय मांग रहे हैं। गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। ...(*व्यवधान)* और हम गवर्नमेंट का यह बात मनवाना चाहते थे पीसफुल तरीके से। *...(व्यवधान)* हमने यह बात रखी कि छोटी-छोटी चीजों पर*...(व्यवधान)* पहले जब यह सरकार थी, उसके मंत्रियों को राजीनामा देने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन आज उनके लोग*...(व्यवधान)* उन लोगों ने जो प्रथा डाली है, वही हम पूछ रहे हैं, पहले रेजिगनेशन कराइए, उसके बाद डिसकशन करेंगे।...*(व्यवधान)* सारा सदन शान्त हो जाएगा।...*(व्यवधान)* आल पार्टी मीटिंग में भी हमने यही कहा था, आपके सामने भी यही कहा था।...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि अगर शांति से हाउस चलना है तो पहले उनका रेजिगनेशन लीजिए। उन्होंने जो तरीका अपनाया है, वही तरीका आज आपके सामने रखा है।...*(व्यवधान)* लेकिन हमको बात करने का मौका नहीं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं केवल हाउस चलाने की बात कर रही हूं।

...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, इस विषय पर कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है। आपने उन्हें विशेष तौर पर यह कहा है*...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपकी बात सुन ली। राजनाथ सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हमें आकर वैल में डराते हैं। सबसे कहते हैं कि तुम विदड्रा हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें शिक्षा देंगे। अगर वैल में आकर सबको डराते हैं, तो यह क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आपको भी रिक्वेस्ट कर रही हूं और सबको रिक्वेस्ट कर रही हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं अपनी जगह पर हूं। मैंने कभी भी गलत तरीके से बात नहीं की है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं स्वयं सभी से अनुरोध कर रही हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हरेक से जाकर वह मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप विदड्रा हो जाओ, नहीं तो आपको सस्पेंड करेंगे। अगर ऐसे डराएंगे तो यह अच्छा नहीं है। मैडम, यह ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि आप रेज़ीग्नेशन लीजिए। पहले ऐसा ही हुआ था...*(व्यवधान)* वही डिमांड हम कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, लोकतंत्र में विपक्ष के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बराबर विपक्ष द्वारा यह मांग की जा रही है कि हमारे मंत्रीगण त्यागपत्र दें। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे किसी भी मंत्री के खिलाफ न तो कोई एफ.आई.आर. है, न तो किसी के खिलाफ प्राइमा फेसी का केस बनता है और न तो सी.वी.सी. ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी मंत्री को पाइंट आउट किया है और न ही कोर्ट का जजमेंट हमारे किसी मंत्री के खिलाफ आया है। इसलिए त्यागपत्र देने का कोई औचित्य नहीं है। इससे पहले इसी संसद में हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने त्यागपत्र की मांग की, लेकिन कभी भी हम लोग चर्चा से नहीं भागे हैं, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

हेल्दी डेमोक्रेसी में चर्चा की एक अहमयित होती है, मैं समझता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष का अगर विश्वास है, कांग्रेस का विश्वास है तो उसे भी चर्चा में भाग लेना चाहिए। चर्चा कराने के लिए, चर्चा करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: बार-बार, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: इससे बड़ा और न्याय नहीं हो सकता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: बार-बार, मैं आपका नाम ले रही हूं और आपसे अनुरोध कर रही हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैंने खड़गे जी को बोलने की अनुमति दी थी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, मुझे कार्रवाई करनी होगी। मुझे खेद है, प्रो. सौगत राय, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। [हिन्दी] कोई कुछ मत बोलना, क्योंकि ऐसा है..

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे खेद है, आप इस तरह नहीं बोल सकते। [हिन्दी] मैंने खुद सबकी बैठक बुलाई थी। मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी की कम से कम दूसरे रास्ते अपनाओ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, मैं यह पिछले आठ दिनों से कह रही हूं। **[हिन्दी]** चर्चा करने के लिए आप और सरकार देख लो और करो। मगर प्लैकार्ड्स दिखाना, इस तरीके से हाउस डिस्टर्ब करना, यह नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, मुझे खेद है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। आपके कहने से एक बार माफ किया था, परसों किया, कोशिश की। इस मुद्दे को उठाने के कई तरीके हैं। [हिन्दी] क्या हुआ था? उनका जवाब क्या था?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी, क्या सुनें?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी, मैं भी बहुत परेशान हूं। [हिन्दी] उस दिन आपने रिक्वैस्ट किया था और माफी के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? [अनुवाद] आपने इसे देखा है। लेकिन, आज मैंने वास्तव में नहीं देखा। [हिन्दी] आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं उस मनःस्थिति में आज वास्तव में नहीं हूं। मैंने बैठक में भी कहा था कि आप लोग पोस्टर्स मत दिखाइए। कहीं तो हमें आना होगा या सालों से जो चल रहा है, उसको आगे लेकर जाते रहें और गड्ढे में ले जाएं? हम क्या करना चाहते हैं? किसी एक अच्छे मोड़ पर हम आना ही नहीं चाहते हैं। मैंने कहा था कि आप पोस्टर्स मत दिखाइए।...*(व्यवधान)* इन्होंने किया, इसलिए आप करेंगे। उन्होंने किया इसलिए वह करेंगे। क्या यह जारी रहना चाहिए या कहीं इसे रुकना चाहिए? कम से कम इतना तो कीजिए। बाकी मेरा कुछ नहीं कहना है। आप जितना बोलना चाहते हैं, बोलिए। जितने नियम हैं, उनके अंतर्गत बोलिए। मैंने यह दिया है। मैं पिछले आठ दिन से बोल रही हूँ कि मैं तैयार हूँ। मैं उनको भी बोलूंगी कि आपकी बात सुनें। यह मेरा काम है। हाँ, मैं करूँगी। लेकिन यह सही तरीका नहीं है। यहां तीन सौ-सवा तीन सौ सांसद बोलना चाहते हैं, आप लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं, बी.जे.डी. के लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं, जे.डी.यू. के सांसद भी अपनी बात उठाना चाहते हैं। सभी का एक ही मुद्दा नहीं है। मैं तैयार हूं। उन सभी को मौका मिलना चाहिए। सी.पी.आई.के सदस्य अगर कुछ बोलना चाहते हैं मैं उन्हें समय दूंगी। क्यों नहीं? लेकिन यह लोग किसी को बोलने दें तो न? यह कोई तरीका होता है। सुदीप जी आप बोलिए लेकिन आज मैं कुछ भी सुनाने के लिये तैयार नही हूँ।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता-उत्तर): महोदया, हमारी संसदीय प्रणाली और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली निस्संदेह दुनिया में सबसे अधिक स्वीकृत, सबसे प्रशंसित लोकतांत्रिक प्रणाली है। हमारा मानना है कि आप निश्चित रूप से इसे क्रियाशील और चालू रखने का प्रयास कर रही हैं। आप अपना पूरा प्रयास कर

रही हैं ताकि यह सुचारू रूप से चले। हमारा मानना है कि हम सभी बहुविध संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अपने निवेदन दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं भी आपकी मदद कर रही हूं। आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: हम कोशिश कर रहे हैं कि सभा सुचारु रूप से चले। कुछ मिनट पहले, हम श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से आए थे, जहां श्री खड़गे जी, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी और विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य सभी नेताओं ने अपने विचार रखे। हम सबकी राय है कि सभा चलनी चाहिए। कैसे? यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल अपनी मांग पर अडिग रहता है और यदि सत्ताधारी दल उनकी मांग को स्वीकार नहीं करता है, तो सभा कभी नहीं चल पाएगी।

जहां तक निलंबन के प्रश्न है, तो आप बार-बार नियमों के बारे में कह रही हैं - पोस्टर दिखाने के लिए नहीं। कहीं न कहीं हम भी आपकी भावनाओं को साझा करना चाहते हैं। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली और प्रबल बनाने के लिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नाम लेने और सभा से निलंबन के ये कदम न उठाएं। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: तो मुझे क्या करना चाहिए? रेलवे से संबंधित मांगें हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे अपने कान बंद होने की स्थिति में है, क्या वह भी मैं सहन करूं?

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: जैसा कि हम सभा में एक साथ काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं यह समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। हमें इसका समाधान करना होगा। *...(व्यवधान)* मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि आज या कल इसका समाधान निकलेगा। आज या कल, किसी भी समय, किसी भी क्षण इसका समाधान निकल सकता है क्योंकि हम सभी जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप मुझे गारंटी देते हैं।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: हम यह आशा करते हैं। ऐसा नहीं है कि उचित इच्छाएँ जल्दी ही क्रियान्वित हो जायेंगी।। लेकिन इस समय मेरा एकमात्र अनुरोध है कि किसी सदस्य का नाम लेकर या सभा से निलंबन करके स्थिति को और खराब नहीं होने दिया जाए। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि कल ऐसा नहीं होगा? क्या आप गारंटी दे रहे हैं?

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: जी नहीं, महोदया। मैं अपने दल की गारंटी दे सकता हूं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मुझे इतने से लोगों को ही नहीं, बाकी तीन सौ से ज्यादा लोगों को देखना है।[अनुवाद] हर कोई कुछ कहना चाहता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अगर हर कोई बोलना चाहता है, तो मैं क्या कर सकती हूं?

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: मैं अपने दल की गारंटी दे सकता हूँ कि हम अध्यक्ष के आसन के निकट नहीं आयेंगें।

माननीय अध्यक्ष: पुन: वे ऐसा कर रहे हैं, मंत्रियों को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या यही तरीका है? **[हिन्दी]** अगर किसी भी बात पर हम अनुशासन का पालन नहीं करते तो कैसे काम चलेगा।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: महोदया, यह पहली बार हुआ कि सत्ताधारी दल के कुछ सदस्य भी हाथ में पोस्टर लेकर सभा में आए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, आप भी समझिये, प्लैकार्ड भी विदड्रा नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, फिर हम कहां आयेंगे। यहां पर आकर क्या यह तरीका है सबके सामने खड़े रहना और प्लैकार्ड दिखाना।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: मैडम, रूलिंग पार्टी के लोग भी प्लैकार्ड लेकर आये थे। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपके कहने से मैं आपको समय देती हूं, आपके कहने से अगर वे अभी प्लैकार्ड विदड्रा करते हैं [अनुवाद] तब मैं आपको समय दूँगी। क्या वे करेंगे? क्या आप कोशिश करेंगे? मैं आपको पांच मिनट दे रही हूं। मैं यहाँ बैठी हूँ। उन्हें प्लेकार्ड्स वापस लेने के लिए कहें।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: महोदया, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप किसी का निलंबन न करें और न ही किसी का नाम लें। यदि ऐसा होता है, तो भविष्य में स्थिति और खराब हो जाएगी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सबके लिए स्पीकर कुछ है ही नहीं, मैंने सबको बुलाया था, मैंने सबसे रिक्वैस्ट की थी। [अनुवाद] क्या कोई मेरी मदद कर रहा है?

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लैकार्ड विदड्रा करने में अगर कोई हैल्प करने वाला हो तो मैं उसी की बात सुनूं नहीं तो सुनकर क्या करूं। [अनुवाद] वे ऐसा करने को भी तैयार नहीं हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, आपने बड़े संयम के साथ और बड़े दिल के साथ एक सुझाव दिया, आपने कल सर्वदलीय बैठक में सिर्फ दो आग्रह किये थे, आपने यह कहा था कि राजनीतिक मसला आप सुलटायें, आपके सदन के सामने सिर्फ दो आग्रह थे कि प्लैकार्ड और बैनर्स लेकर नहीं आएं और सदन के वैल में नहीं आएं, इसके आतिरिक्त स्पीकर महोदया आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि जो भी राजनीतिक मामला है, वह आपस में सुलझाएं, लेकिन प्लैकार्ड सदन के भीतर लेकर नहीं आओ और सदन के बीच में मत आओ, इन्हीं दो विषयों पर आपने बैठक बुलाई थी और इसमें सब लोगों ने भाग लिया। आज श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जो बात कर रहे हैं, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग भी उनकी बात से सहमत हैं। लेकिन हमारा आग्रह है कि अगर सुदीप बन्धोपाध्याय यह कह रहे हैं तो उनके आग्रह पर ही माननीय सदस्य अपने प्लैकार्ड हटा दें और सदन के बीच में जो माननीय सदस्य हैं, वे चले जाएं। आपने जो बात कही, हम भी उस बात से सहमत हैं और श्री सुदीप बंधोपाध्याय की बात से भी सहमत हैं। लेकिन महोदया अगर ये माननीय सदस्य आपके पास आकर इन विषयों पर भी सहमति प्रदान नहीं करेंगे, हम बहस के लिए तैयार हैं। देश के समक्ष या सदन में हर प्रकार की बहस लाई जायेगी या भविष्य में जो मुद्दा रखा जायेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। हम श्री सुदीप बंधोपाध्याय के उस बयान से हम पूरी तरह सहमत हैं कि सभी सदस्य अपने स्थानों पर चले जाएं, वे प्लैकार्ड हटा लें, सदन के फ्लोर से चले जाएं और सदन की कार्रवाई चलने दें। उन्हें जितने भी नारे लगाने हैं, अगर वे अपनी सीट पर जाकर लगायें तो भी एक सहमति बन सकती है, लेकिन जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है।

मैं सफाई देना चाहूंगा कि माननीय खड़गे जी ने यह कहा कि मैंने सदन के वैल में जाकर लोगों को धमकी दी है, यह सरासर गलत है। मैंने अपने कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों के पास जाकर विमर्श किया है कि इस प्रकार से इस विषय को रखना अनुचित है।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): माननीय अध्यक्ष महोदया, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें कोई सर्वसम्मति नही बनी थी। यह पहली बार नहीं है जब सभा बाधित है। मैं वर्ष 2010 में एक सदस्य था जब बी.जे.पी. नेताओं ने एक महीने के लिए सभा को रोक दिया था और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । किसी सदस्य को दंडित करना कोई समाधान नहीं है। सरकार को पहल करनी होगी। विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए दो मुद्दे हैं। सरकार को इन पर फैसला लेना है। तभी हम सभा का सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं। *...(व्यवधान)* महोदया, आप इसे जानती हैं क्योंकि आप यहां थी। *...(व्यवधान)* हमने एक महीने तक सभा को बाधित कर दिया था। कोई कार्रवाई नहीं की गई।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री बी.एन. चन्द्रप्पा, श्री संतोख सिंह चौधारी, श्री ए.एच. खान चौधरी, कुमारी सुष्मिता देव, श्री आर. ध्रुवनारायण, श्री निनोंग इरिंग, श्री गौराव गोगोई, श्री श्री गुत्था सुकेन्द्र, श्री दीपेंदर सिंह हुड्डा, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ. थोकचोम मेंन्या, श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा, श्री अभिजीत मुखर्जी, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री के.एच. मुनियप्पा, श्री बी.वी. नाईक, श्री विनसेंट एच. पाला, श्री एम.के. राघवन, श्रीमती रणजीत रंजन, श्री सी.एस. रुआला, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री राजीव सत्व, श्री रवनीत सिंह, श्री डी.के. सुरेश, श्री के.सी. वेणुगोपाल आप सभी अध्यक्ष के आसन के निकट आ गए हैं और सभा के नियमों की अवमानना कर रहे हैं। आपके लगातार और जानबूझकर सभा की कार्यवाही में बाधा डालने से घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है।

इसलिए, मैं नियम 374क के तहत आपका नाम लेने के लिए विवश हूं।

मैंने जो भी नाम लिए हैं वे सभी सदस्य नियम 374क के उपबंधों के अनुसार सभा की सेवा से लगातार पांच बैठकों के लिए स्वत: निलम्बित हुए माने जायेंगे। वे सब अभी सभा से बाहर चले जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा कल पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 3.28 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 4 अगस्त, 2015 / 13 श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित